

स्नातक कार्यक्रमों के लिए कामैन सीट आवंटन



दिल्ली
विश्वविद्यालय

शैक्षणिक वर्ष
2024-25

अस्वीकरण

दिल्ली विश्वविद्यालय का बिना किसी पूर्व सूचना के कॉमन सीट आवंटन प्रणाली-2024 (सीएसएस(यूजी)-2024 के किसी भी हिस्से को आशोधित करने, संशोधित करने या हटाने का अधिकार सुरक्षित है। इस प्रकार किए गए किसी भी परिवर्तन को दिल्ली विश्वविद्यालय (यूओडी) की प्रवेश वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। सीएसएस(यूजी)-2024 दस्तावेज जारी होने के बाद आवंटन नियमों में कोई भी परिवर्तन प्रवेश वेबसाइट, www.admission.uod.ac.in पर पोस्ट किए जाने की तारीख से प्रभावी हो जाएगा।

नियमों और विनियमों के प्रामाणिक, आधिकारिक संस्करण और इस दस्तावेज़ में अतिरिक्त प्रासंगिक जानकारी को यथासंभव पुनः प्रस्तुत करने के लिए उचित सावधानी बरती गई है। हालांकि, इसे किसी भी मामले में, संदर्भ के रूप में प्रदान की गई जानकारी की पूर्णता और सटीकता के बारे में वारंटी, व्यक्त या निहित के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रदान की गई जानकारी के आधार पर की गई किसी भी कार्रवाई से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी दायित्व को अस्वीकार करता है। प्रवेश वेबसाइट, यूजी बीओआई-2024 और सीएसएस(यूजी)-2024 दस्तावेज़ पर कोई भी त्रुटि अनजाने चूक और/या किसी अन्य कारण से हो सकती है। यह अस्वीकरण सीएसएस(यूजी)-2024 के प्रत्येक भाग पर लागू होगा, जिसमें वेबसाइट पर अधिसूचित सभी अधिसूचनाएं, शुद्धिपत्र, संशोधन, अनुसूची और नियम शामिल हैं और यहां संलग्न या निहित हैं।

उम्मीदवार नियमित रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट और सीएसएस(यूजी)-2024 आवंटन, कार्यक्रम और दिशानिर्देशों के लिए अपने डैशबोर्ड की नियमित रूप से जांच करने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है।

दिल्ली विश्वविद्यालय किसी भी व्यक्ति को किसी भी नुकसान या क्षति, आर्थिक या अन्यथा, प्रदत्त जानकारी या व्यक्त विश्वास/राय, या ऐसी जानकारी से निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर की गई किसी कार्रवाई या निष्क्रियता के कारण उत्तरदायी नहीं है।

सीएसएस(यूजी)-2024 के तहत प्रवेश के संबंध में कोई भी मुद्दा/विवाद केवल दिल्ली न्यायालयों के क्षेत्रीय और विषय-वस्तु क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी होगा।

स्नातक (यूजी) प्रवेश-2024 के संबंध में सूचनाओं और अपडेट के लिए, कृपया

www.admission.uod.ac.in देखें

विषय-वस्तु

अध्याय 1	सामान्य जानकारी	5
अध्याय 2	कॉमन सीट आवंटन प्रणाली (स्नातक) -2024 के बारे में जानकारी	8
अध्याय 3	सीएसएस (यूजी) -2024 आवेदन-पत्र	12
अध्याय 4	वरीयता भरना	17
अध्याय 5	आवंटन नियम	21
अध्याय 6	सीट आवंटन और प्रवेश	23
अध्याय 7	परवर्ती आवंटन दौर	26
अध्याय 8	अपग्रेड अथवा प्रीज़	27
अध्याय 9	अनंतिम रूप से आवंटित सीट/प्रवेश रद्द करना	29
अध्याय 10	उम्मीदवार द्वारा प्रवेश वापस लेना	30
अध्याय 11	मिड-एंटी	31
अध्याय 12	स्पॉट प्रवेश	32
अध्याय 13	टाई निर्णायक के नियम	33
अध्याय 14	शुल्क का प्रेषण	34
अध्याय 15	रिफंड नीति	36
अध्याय 16	मूल दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के लिए अनिवार्य आवश्यकता	37
अध्याय 17	बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण स्थिति में परिवर्तन	38
अध्याय 18	अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्रवेश	39
अध्याय 19	शिकायत निवारण	40
अध्याय 20	निष्पादन-आधारित कार्यक्रमों में प्रवेश: बी.ए. (आनर्स) संगीत, बी.एससी. (पीई, एचईएंडएस)	41
अध्याय 21	ललित कला स्नातक (बीएफए) में प्रवेश	52
अध्याय 22	ईसीए और खेल (अधिसंख्य कोटा) पर प्रवेश	53
अध्याय 23	अन्य अधिसंख्य कोटा पर प्रवेश	72
	अनुसूची-I: बोर्डों की समानता	76
	अनुसूची-II: ग्रेड रूपांतरण	77
	अनुसूची-III: आवेदन करने के समय आवश्यक दस्तावेजों की सूची	79
	अनुसूची-IV: प्रमाणपत्र का प्रारूप	83

संक्षिप्ताक्षरों की सूची

एआईसीटीई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
एआईयू	भारतीय विश्वविद्यालय संघ
बीएफए	ललित कला स्नातक
सीबीएसई	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
सीईएम	संयुक्त ईसीए मेरिट
सीएसएस (यूजी)	कॉमन सीट आवंटन प्रणाली (स्नातक)
सीएसएम	संयुक्त खेल मेरिट
सीयूईटी (यूजी)	विश्वविद्यालय कॉमन प्रवेश परीक्षा (स्नातक)
सीडब्ल्यू	सशस्त्र बलों के कर्मियों के बच्चे/विधवाएं
डीएसजीएमसी	दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति
ईसीए	पाठ्येतर कार्यकलाप
ईसीसी	शैक्षिक रियायत प्रमाणपत्र
ईडब्ल्यूएस	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
केएम	कश्मीरी प्रवासी
एमओई	शिक्षा मंत्रालय
एनटीए	राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी
ओबीसी-एनसीएल	अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन-क्रीमी लेयर
पीएमएसएसएस	जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना
दिव्यांग	बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति
एससी	अनुसूचित जाति
एसटी	अनुसूचित जनजाति
यूजी	स्नातक
यूजी बीओई	सूचना स्नातक बुलेटिन
यूओडी	दिल्ली विश्वविद्यालय
यूआर	अनारक्षित

अध्याय – 1 सामान्य जानकारी

स्नातक (यूजी) कार्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संकायों, अर्थात् कला, अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान और मानविकी, शिक्षा, अंतःविषयक और अनुप्रयुक्त विज्ञान, संगीत, वाणिज्य और व्यवसाय अध्ययन, गणितीय विज्ञान, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के तहत अध्ययन की विभिन्न धाराओं में अपने महाविद्यालयों के माध्यम से प्रस्तावित किए जाते हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉमन सीट आवंटन प्रणाली (यूजी)-2024 के माध्यम से छात्रों को प्रवेश देना दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों/विभागों/केंद्रों के लिए बाध्यकारी है।

सभी यूजी कार्यक्रमों में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर निर्दिष्ट पात्रता आवश्यकताओं, मानदंडों और प्रक्रियाओं स्नातक सूचना बुलेटिन-2024 (यूजी-बीओआई) और कॉमन सीट आवंटन प्रणाली (स्नातक)-2024 (सीएसएस(यूजी)-2024 के आधार पर किया जाता है।

यूजी स्तर पर प्रस्तावित किए गए प्रत्येक कार्यक्रम के लिए पात्रता मानदंड स्नातक सूचना बुलेटिन-2024 (यूजी बीओआई-2024) (विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट admission.uod.ac.in पर उपलब्ध) में प्रकाशित किया गया है। उम्मीदवारों को स्नातक सूचना बुलेटिन-2024 और प्रवेश वेबसाइट से पात्रता मानदंड को ध्यान से देखना चाहिए। विश्वविद्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट, यूजी बीओआई-2024 और सीएसएस(यूजी)-2024 के माध्यम से निर्धारित मानदंडों के अलावा कोई अतिरिक्त पात्रता मानदंड नहीं हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट पर प्रकाशित हैं।

शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों के सभी यूजी कार्यक्रमों में प्रवेश केवल विश्वविद्यालय कॉमन प्रवेश परीक्षा (स्नातक)-2024 (सीयूईटी (यूजी)-2024) के आधार पर किया जाएगा।

1. सीयूईटी(यूजी)-2024 का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा किया जाता है। उम्मीदवार ध्यान दें कि एनटीए की भूमिका सीयूईटी(यूजी)-2024 के संचालन, परिणामों की घोषणा और प्रवेश परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को हल करने तक सीमित है। दिल्ली विश्वविद्यालय में सीट सुरक्षित करने के लिए केवल सीयूईटी(यूजी)-2024 में उपस्थित होना पर्याप्त शर्त नहीं होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय यूजी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए, एक उम्मीदवार को सीएसएस(यूजी)-2024 में आवेदन करना होगा।
2. कॉमन सीट आवंटन प्रणाली(यूजी)-2024 दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों के सभी यूजी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकल खिड़की के रूप में काम करेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय महाविद्यालय में प्रवेश लेने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को केवल सीएसएस(यूजी)-2024 के माध्यम से आवेदन करना चाहिए। केवल दिल्ली विश्वविद्यालय (सीएसएस(यूजी)-2024) के आधिकारिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लिए गए और दिए गए प्रवेश को वैध माना जाएगा।
3. आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले, उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे स्नातक सूचना बुलेटिन-2024 और सीएसएस(यूजी)-2024 की सामग्री को ध्यान से पढ़ें और दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922, इसके संशोधनों और विधियों से परामर्श करें। विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.du.ac.in पर उपलब्ध दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेश, नियम, विनियम और अधिसूचनाएं, अंतिम और बाध्यकारी होंगी।

4. दिल्ली विश्वविद्यालय में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कार्यक्रमों का चयन करने से पहले सामान्य न्यूनतम पात्रता मानदंड, कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंड, कार्यक्रमों की सूची, सीट मैट्रिक्स, शुल्क संरचना और दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट पर अन्य प्रासंगिक जानकारी के लिए स्नातक सूचना बुलेटिन-2024 का उल्लेख करना होगा।
https://admission.uod.ac.in/userfiles/downloads/28022024_BOI-UG-2024-25_compressed-o.pdf (अंग्रेजी)।
5. दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पात्रता का निर्धारण और दस्तावेजों का सत्यापन दिल्ली विश्वविद्यालय का एकमात्र अधिकार क्षेत्र होगा।
6. केवल वही उम्मीदवार जो सीयूईटी(यूजी)-2024 में उपस्थित हुए हैं और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा XII उत्तीर्ण कर चुके हैं, केवल सीएसएस(यूजी)-2024 के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
7. उम्मीदवार के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय (admission.uod.ac.in) की प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय के सीएसएस(यूजी)-2024 में ऑनलाइन आवेदन करना और प्राथमिकताएं भरना अनिवार्य है। किसी भी अन्य मोड के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
8. सभी यूजी कार्यक्रमों के लिए सीट आवंटन पूरी तरह से सीयूईटी(यूजी)-2024 में प्राप्त अंकों पर आधारित होगा, जो कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता मानदंडों की पूर्ति के अधीन होगा।
9. निष्पादन-आधारित/खेल प्रवीणता-आधारित/प्राैक्टिकल-आधारित कार्यक्रमों और ईसीए और खेल अधिसंख्य कोटा में सीटों के आवंटन के लिए, सीयूईटी(यूजी)-2024 और निष्पादन परीक्षण/खेल परीक्षण/प्राैक्टिकल परीक्षा और/या प्रमाणपत्रों के संयुक्त स्कोर पर विचार किया जाएगा।
10. यदि अधिसंख्य कोटे की सीटें रिक्त रहती हैं तो उन्हें किसी अन्य श्रेणी में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
11. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश से संबंधित सभी सूचनाओं और अपडेट के लिए अपने डैशबोर्ड, ईमेल और प्रवेश वेबसाइट (admission.uod.ac.in) की जांच करें।
12. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश दिशानिर्देशों, अनुसूची, पात्रता मानदंड और सीएसएस(यूजी)-2024 नियमों के बारे में जागरूकता की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। नियमित रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय के डैशबोर्ड, ईमेल और प्रवेश वेबसाइट की जांच करना उम्मीदवार का एकमात्र उत्तरदायित्व है।
13. प्रवेश के लिए आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन के मामले में, जिसमें प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना और/या निर्धारित तिथि और समय के भीतर शुल्क का भुगतान न करना शामिल है, उम्मीदवार प्रवेश का अधिकार खो देगा।

सलाह

उम्मीदवारों को प्रवेश वेबसाइट (admission.uod.ac.in) पर उपलब्ध प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) की जांच करनी चाहिए

सलाह

प्रवेश से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, उम्मीदवार चैटबॉट्स का उपयोग कर सकते हैं, हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं और/या स्नातक हेल्पडेस्क पर ईमेल लिख सकते हैं। विवरण प्रवेश वेबसाइट पर उपलब्ध है।

14. उम्मीदवार को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा अधिसूचित किए जाने पर मूल दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए वैयक्तिक रूप से उपस्थित होना होगा।
15. किसी भी आरक्षित श्रेणी (दिव्यांग, सीडब्ल्यू, केएम, सिंगल गर्ल चाइल्ड और अनाथ सहित) के तहत आरक्षण का दावा करने के लिए अपनी पात्रता साबित करना उम्मीदवार का एकमात्र उत्तरदायित्व है। एससी/एसटी/ओबीसी-
एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/अल्पसंख्यक/सीडब्ल्यू/दिव्यांग/केएम/
एकल लड़की बच्चा/अनाथ श्रेणियों के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम
जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी संबंधित आरक्षित श्रेणी/उप-श्रेणी के प्रमाणपत्र/दस्तावेज अपलोड
करने होंगे।
16. यदि किसी भी स्तर पर, प्रवेश से संबंधित उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नकली/गैर-वास्तविक
और/या गढ़े हुए या किसी अन्य तरीके से दोषपूर्ण पाए जाते हैं, तो उक्त उम्मीदवार को प्रवेश
नहीं दिया जाएगा। यदि पहले ही प्रवेश दे चुके हैं, तो इस संबंध में बिना किसी पूर्व सूचना के
प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। यदि कार्यक्रम पूरा करने के बाद भी यही पाया जाता है, तो
उसकी डिग्री रद्द कर दी जाएगी और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
17. प्रवेश प्रक्रिया में एक उम्मीदवार की भागीदारी अनंतिम होगी। यदि किसी स्तर पर यह पाया
जाता है कि पात्रता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जाता है तो दाखिला प्रदान किए जाने
पर उसे स्वतः ही रद्द कर दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवार के विरुद्ध उपयुक्त कानूनी कार्रवाई
की जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार किसी भी स्तर पर अयोग्य पाया जाता है तो विश्वविद्यालय
प्रवेश शुल्क (यदि भुगतान किया जाता है) वापस नहीं करेगा।
18. विश्वविद्यालय का किसी भी उम्मीदवार के प्रवेश को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है जो दिल्ली
विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का उल्लंघन करता है।

अध्याय - 2
कॉमन सीट आवंटन प्रणाली (स्नातक) -2024 के बारे में जानकारी

1. शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी यूजी कार्यक्रमों के लिए आवंटन-सह-प्रवेश सीएसएस(यूजी) -2024 के माध्यम से होगा और स्नातक सूचना बुलेटिन-2024 में उल्लिखित पात्रता आवश्यकताओं और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित अन्य नियमों पर आधारित होगा।
2. यहां बताए गए सीएसएस(यूजी) -2024 नियम शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों के सभी यूजी कार्यक्रमों में अनंतिम प्रवेश के लिए लागू होंगे।
3. सीएसएस(यूजी) -2024 के माध्यम से प्रवेश पाने के लिए www.admission.uod.ac.in में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को केवल इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीएसएस(यूजी) -2024 आवेदन-पत्र ऑनलाइन भरना होगा। सीएसएस(यूजी) -2024 आवेदन-पत्र ऑफलाइन नहीं भरना होगा।
4. एक बार सीएसएस(यूजी) -2024 आवेदन-शुल्क (अप्रतिदेय) होगा:

उम्मीदवार की श्रेणी	सीएसएस(यूजी) -2024 आवेदन-शुल्क (अप्रतिदेय)
यूआर/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस	रु. 250.00 (रुपये दो सौ पचास मात्र)
एससी/एसटी/दिव्यांग	रु. 100.00 (रुपये सौ मात्र)

ईसीए और/या खेल अधिसंख्य कोटा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को प्रत्येक कोटा के लिए 100.00 रुपये (रुपये एक सौ केवल) का अतिरिक्त शुल्क (अप्रतिदेय) देना होगा।

ललित कला स्नातक/बी.ए. (ऑनर्स) के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार बी.एससी. (पीई, एचई एंड एस) को प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 400.00 रुपये (चार सौ रुपये मात्र) का अतिरिक्त शुल्क (अप्रतिदेय) का भुगतान करना होगा।

5. उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।

6. सीएसएस(यूजी) -2024 में आवेदन करने वाले उम्मीदवार को एनटीए द्वारा आयोजित सीयूईटी (यूजी) -2024 में उपस्थित होना चाहिए।

सलाह

उम्मीदवारों को सीएसएस-2024 आवेदन-पत्र भरने के लिए अंतिम दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

7. दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए, उम्मीदवार के लिए उन विषयों में सीयूईटी (यूजी) -2024 में उपस्थित होना अनिवार्य है, जिनमें उसने कक्षा XII उत्तीर्ण की है।

8. सीएसएस(यूजी)-2024 आवेदन-शुल्क की प्राप्ति के बाद ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सीएसएस(यूजी)-2024 आवेदन-शुल्क केवल दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश पोर्टल के माध्यम से जमा किया जाए। सीएसएस(यूजी)-2024 दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए भुगतान लिंक के अलावा किसी अन्य लिंक या मोड के माध्यम से जमा किए गए आवेदन-शुल्क पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

सलाह

डेस्कटॉप/लैपटॉप के माध्यम से प्रपत्र भरने की सलाह दी जाती है। मोबाइल फोन का उपयोग करके प्रपत्र भरने से बचें।

9. सीएसएस(यूजी)-2024 आवेदन-शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
10. उम्मीदवार को यह जांचने की सलाह दी जाती है कि क्या वह उस कार्यक्रम (कार्यक्रमों) के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है जिसके लिए वह आवेदन कर रहा है और यूजी बीओआई-2024 में प्रकाशित कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता के अनुसार प्रासंगिक भाषा/भाषाओं, डोमेन विशिष्ट विषय/विषयों और/या सामान्य परीक्षा में सीयूईटी(यूजी)-2024 परीक्षा भी दी है।
11. यदि किसी उम्मीदवार ने सीएसएस(यूजी)-2024 में आवेदन किया है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित किसी भी कार्यक्रम की पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. यदि किसी उम्मीदवार ने भाषा/और/अथवा डोमेन विशिष्ट विषय/और/अथवा सामान्य परीक्षा नहीं दी है जो किसी विशेष कार्यक्रम की पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए अनिवार्य है, तो वह उस विशेष कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा।
13. यदि सभी दस्तावेज क्रम में पाए जाते हैं और उम्मीदवार द्वारा पात्रता मानदंड को पूरा किया जाता है, तो आवंटित सीट को महाविद्यालय द्वारा अनंतिम रूप से अनुमोदित किया जाएगा। उस स्थिति में, उम्मीदवार को निर्धारित समय के भीतर प्रवेश शुल्क का भुगतान करके अनुमोदित आवंटित सीट पर प्रवेश लेना होगा।

14. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लॉग-इन क्रेडेंशियल्स, अर्थात् लॉगिन आईडी और पासवर्ड, दुरुपयोग से बचने के लिए बिलकुल गोपनीय रखें। लॉगिन क्रेडेंशियल, एक बार बनने के बाद, किसी भी परिस्थिति में बदला/संपादित नहीं किया जा सकता है।

सलाह

उम्मीदवारों को महाविद्यालय में छात्रावास सुविधाओं के साथ-साथ शुल्क संरचना और शुल्क माफी नियमों (यदि कोई हो) के बारे में जानकारी के लिए विभिन्न महाविद्यालयों की वेबसाइट देखनी चाहिए।

15. उम्मीदवार को सीएसएस(यूजी)-2024 के सभी आवंटन और प्रवेश राउंड की निर्धारित समय-सीमा का पालन करना चाहिए।
16. एक उम्मीदवार जिसके दस्तावेज जानबूझकर जालसाजी/धोखाधड़ी के कार्य के कारण अमान्य पाए जाते हैं, उन्हें सीएसएस(यूजी)-2024 से वंचित कर दिया जाएगा।

कॉमन सीट आवंटन प्रणाली (यूजी) 2024 में निम्नलिखित शामिल हैं :

चरण I	दिल्ली विश्वविद्यालय में आवेदन करना
चरण II	कार्यक्रमों और महाविद्यालयों के लिए वरीयता भरना
चरण III	आवंटन-सह-प्रवेश

प्रथम चरण

अध्याय – 3 सीएसएस (यूजी) -2024 आवेदन-पत्र

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय का आवेदन-पत्र भरने से पहले स्नातक सूचना बुलेटिन-2024 और सीएसएस(यूजी)-2024 पढ़ लें।

सीएसएस(यूजी)-2024 में आवेदन करने के लिए सीयूईटी (यूजी)-2024 आवेदन संख्या अनिवार्य होगी। उम्मीदवार का नाम, हस्ताक्षर और फोटो सीयूईटी(यूजी)-2024 पोर्टल से स्वतः एकीकृत किया जाएगा। ये फ्रील्ड गैर-संपादन योग्य होंगे।

आवेदन करने से पहले, उम्मीदवार को अपने कंप्यूटर/लैपटॉप पर सभी आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की एक प्रति स्कैन करके रखनी होगी। (आवश्यक दस्तावेजों की सूची के लिए अनुसूची III देखें)।

3.1 : वैयक्तिक अनुभाग

वैयक्तिक अनुभाग में, दर्ज किए गए विवरण उम्मीदवार के प्रमाणपत्र/दस्तावेजों में उल्लिखित विवरणों से मेल खाना चाहिए। बेमेल/विसंगतियों के कारण किसी भी स्तर पर सीएसएस(यूजी)-2024 आवेदन-पत्र को अस्वीकार किया जा सकता है।

- उम्मीदवार को अत्यंत सावधानी के साथ वैयक्तिक अनुभाग में विवरण भरना चाहिए।
- जिन उम्मीदवारों ने सीयूईटी(यूजी)-2024 में दिव्यांग श्रेणी का विकल्प चुना था, उन्हें सीएसएस(यूजी)-2024 में अपनी श्रेणी बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि उन्होंने सीयूईटी(यूजी)-2024 के दौरान दिव्यांग लाभ (जैसे प्रतिपूरक समय और लेखक का प्रावधान) का लाभ उठाया होगा।
- सीडब्ल्यू श्रेणी के लिए चयन करने वाले उम्मीदवार को सीडब्ल्यू प्राथमिकता को ध्यान से चुनना चाहिए।
- निष्पादन-आधारित कार्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार अर्थात, बी.ए. (आनर्स) संगीत, बी.एससी. (पीई, एचईएंडएस) और/या प्रैक्टिकल-आधारित कार्यक्रम अर्थात, बीएफए को प्रोग्राम विकल्प का चयन करना होगा और प्रासंगिक प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा (विवरण के लिए अध्याय 20 देखें)।
- उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा भरा गया बैंक खाता विवरण वैध है और केवल उम्मीदवार या उसके निकट परिवार के सदस्यों से संबंधित है। यह टिप्पणी किया जाए कि दिल्ली विश्वविद्यालय विभाग द्वारा रिफंड (यदि कोई हो) केवल इस खाते में किया जाएगा। पूरी प्रवेश प्रक्रिया के दौरान किसी भी परिस्थिति में बैंक खाते के विवरण में बदलाव की अनुमति नहीं है।

सलाह

उम्मीदवार को सीएसएस(यूजी)-2024 आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी से भरना होगा क्योंकि प्रपत्र सफलतापूर्वक जमा करने के बाद संपादन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एक बार प्रपत्र जमा हो जाने के बाद, निम्नलिखित वैयक्तिक विवरण नहीं बदले जाएंगे:

- क. माता-पिता का नाम
- ख. श्रेणी/उप-श्रेणी/जाति/अधिसंख्य कोटा
- ग. लिंग
- घ. ईमेल आईडी
- ङ. मोबाइल नंबर
- च. बैंक खाता विवरण

सलाह

उम्मीदवारों को अपना लॉगिन विवरण जैसे सीयूईटी(यूजी)-2024 पंजीकरण संख्या, ईमेल आईडी और पासवर्ड याद रखना चाहिए।

3.2 : शैक्षणिक अनुभाग

उम्मीदवारों को उन सभी विषयों के अंक दर्ज करने होंगे जिनमें उन्होंने बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की है।

यदि अंक-तालिका में कक्षा XI और कक्षा XII दोनों के अंक हैं, तो केवल कक्षा XII के अंक दर्ज किए जाने चाहिए। उम्मीदवार को सिद्धांत और प्रैक्टिकल अलग-अलग में उत्तीर्ण होना चाहिए।

बारहवीं कक्षा की अंक-तालिका के अनुसार सिद्धांत और प्रैक्टिकल के लिए प्राप्त अंक और अधिकतम अंक अलग-अलग भरें। यदि किसी पेपर के लिए सिद्धांत/प्रैक्टिकल ब्रेक अप निर्दिष्ट नहीं है, तो उस पेपर के लिए केवल 'सिद्धांत' सेक्शन में अंक दर्ज करें और प्रैक्टिकल सेक्शन में प्राप्त अधिकतम अंकों और अंकों में "0" दर्ज करें।

प्रैक्टिकल सेक्शन के तहत सत्र/आंतरिक मूल्यांकन जोड़ा जा सकता है।

सिद्धांत, प्रैक्टिकल या योग से संबंधित अंकों की प्रविष्टि में कोई विसंगति, उम्मीदवार का एकमात्र उत्तरदायित्व होगा।

अंकों की गलत प्रविष्टि के कारण सीट खोने वाले उम्मीदवार के मामले में, जो बाद में टाई-परिणाम के लिए उपयोग किए जाते हैं, ऐसे मामले को शिकायत निवारण के तहत नहीं माना जाएगा।

सलाह

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बारहवीं कक्षा के अंकों को भरते समय अत्यधिक सावधानी बरतें क्योंकि ये टाई के परिणाम का आधार बन जाएंगे, यदि कोई हो।

3.3 : खेल अनुभाग

खेल अधिसंख्य कोटा के आधार पर प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार अधिकतम तीन खेलों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को केवल 01 मई 2021 से 30 अप्रैल 2024 के बीच जारी किए गए पिछले तीन (03) वर्षों के अधिकतम तीन मेरिट/सहभागिता खेल प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रतियां अपलोड करनी होंगी।

विवरण के लिए, अध्याय 22 देखें।

3.4 : पाठ्येतर कार्यकलाप अनुभाग

शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए ईसीए अधिसंख्य कोटा के माध्यम से प्रवेश 14 ईसीए श्रेणियों में किया जाएगा। ईसीए अधिसंख्य कोटा के आधार पर प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार अधिकतम तीन ईसीए श्रेणियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक ईसीए श्रेणी के लिए जिसमें उम्मीदवार आवेदन कर रहा है, उसे केवल 01 मई 2021 से 30 अप्रैल 2024 के बीच जारी किए गए पिछले तीन (03) वर्षों के अधिकतम पांच (05) स्व-सत्यापित प्रमाणपत्र अपलोड करने होंगे।

विवरण के लिए, अध्याय 22 देखें।

3.5 : अपलोड

उम्मीदवार को अनुबंध IV के अनुसार सुझाए गए प्रारूप में आवश्यक प्रासंगिक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।

एससी/एसटी/ओबीसी-

एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/अल्पसंख्यक/सीडब्ल्यू/केएम/

दिव्यांग/सिंगल गर्ल चाइल्ड/अनाथ के तहत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार का नाम संबंधित स्कूल बोर्ड योग्यता प्रमाणपत्र और सीयूईटी (यूजी)-2024 में दर्ज नाम से मेल खाना चाहिए। इसी तरह, माता-पिता के नाम भी प्रमाणपत्र से मेल खाने चाहिए।

उम्मीदवार अपने द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्र की गुणवत्ता और प्रामाणिकता के लिए उत्तरदायी होगा। उसे यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए कि अपलोड किए गए दस्तावेज/प्रमाणपत्र प्रामाणिक और सटीक हैं।

यदि किसी भी झूठे सत्यापन/गलत रिकॉर्ड का पता लगाया जाता है, तो उम्मीदवार को विश्वविद्यालय और/या उसके महाविद्यालयों से वंचित कर दिया जाएगा और उम्मीदवार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों की अपूर्ण/अनुपलब्धता के बदले कोई वचनबद्धता स्वीकार नहीं की जाएगी।

3.6 : पूर्वसमीक्षा

उम्मीदवार अनिवार्य दस्तावेजों के सफल अपलोड करने के बाद ही सीएएसएस (यूजी)-2024 आवेदन-पत्र का पूर्वावलोकन करने में सक्षम होंगे।

उम्मीदवार के पास इस स्तर पर यदि आवश्यक हो तो संपादन/परिवर्तन करने का विकल्प होगा।

उम्मीदवार को अंतिम सबमिशन के अगले भाग पर जाने से पहले उसके द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक विवरण को ध्यान से पढ़ना चाहिए।

सलाह

आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को महाविद्यालय-वार ईसीए और खेल सीट मैट्रिक्स और विभिन्न महाविद्यालयों में खेल और ईसीए श्रेणियों/उप-श्रेणियों की उपलब्धता का उल्लेख करने की सलाह दी जाती है।

सलाह

उम्मीदवारों को नवीनतम दस्तावेज/प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा। भौतिक सत्यापन के दौरान इसकी आवश्यकता होगी।

सलाह

उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड किए गए प्रमाणपत्र दृश्यमान और पठनीय हैं।

सलाह

उम्मीदवारों को किसी भी अंतिम मिनट की जल्दबाजी से बचने के लिए समय-सीमा से पहले आवेदन-शुल्क का भुगतान करना होगा।

आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद कोई परिवर्तन/संपादन/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.7 : अंतिम सबमिशन

एक बार सीएसएस(यूजी)-2024 आवेदन-पत्र भर जाने और दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद, उम्मीदवार को सीएसएस(यूजी)-2024 आवेदन-शुल्क का भुगतान करके प्रपत्र जमा करना होगा। निर्धारित समय के भीतर आवेदन-शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद ही उम्मीदवार सीएसएस(यूजी)-2024 में भाग लेने के लिए पात्र बनेंगे। शुल्क का भुगतान केवल उम्मीदवार के डैशबोर्ड पर दिए गए भुगतान गेटवे लिंक के माध्यम से किया जाना चाहिए। यदि आवेदन-शुल्क सफलतापूर्वक प्रेषित नहीं किया जाता है, तो आवेदन को किसी भी परिस्थिति में आवंटन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

भुगतान के लिए, उम्मीदवारों को इनमें से किसी भी भुगतान मोड का उपयोग करना चाहिए: नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई।

सलाह

सीएसएस(यूजी)-2024 आवेदन-शुल्क के सफल भुगतान पर, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य के संदर्भ के प्रमाण के रूप में लेनदेन विवरण का रिकॉर्ड रखें।

द्वितीय चरण

अध्याय – 4 वरीयता रना

एनटीए द्वारा सीयूईटी(यूजी)-2024 के परिणाम घोषित होने के बाद, दिल्ली विश्वविद्यालय वरीयता भरने का चरण खोलेगा। उम्मीदवार को अपना सीएसएस(यूजी)-2024 डैशबोर्ड लॉगिन करना होगा ताकि वह प्रोग्राम आवंटित होने पर प्रवेश लेने के लिए तैयार हो।

प्रवेश के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय कार्यक्रम-विशिष्ट मेरिट स्कोर की गणना के लिए एनटीए द्वारा प्रदान किए गए सीयूईटी(यूजी)-2024 स्कोर पर विचार करेगा। उम्मीदवार उन सभी कार्यक्रमों के लिए अपना कार्यक्रम-विशिष्ट सीयूईटी स्कोर देख पाएंगे जिनमें वे पात्र हैं। ये प्रोग्राम-विशिष्ट स्कोर स्वतः गणना किए जाएंगे और उम्मीदवारों के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

उम्मीदवार को उसे चुने गए प्रत्येक यूजी कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम+महाविद्यालय के लिए अपनी वरीयता देनी होगी।

कार्यक्रम+महाविद्यालय संयोजनों की वरीयताओं को भरने के लिए जिसमें उम्मीदवार प्रवेश लेने के लिए तैयार है, उसे निम्नलिखित कार्य करने होंगे:

4.1 : विषय-मानचित्रण

जिन उम्मीदवारों ने चरण I पूरा कर लिया है, उन्हें बारहवीं कक्षा में पढ़े गए विषयों को उन परीक्षा प्रश्नपत्रों के साथ मैप करना होगा जिनमें वे सीयूईटी(यूजी)-2024 में उपस्थित हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए, उम्मीदवार के लिए सीयूईटी(यूजी)-2024 में उन विषयों में उपस्थित होना अनिवार्य है, जिनमें वह कक्षा XII में उपस्थित हो रहा है/उत्तीर्ण हो चुका है। कार्यक्रमों के चयन के लिए विषयों का सही मानचित्रण एक आवश्यक मानदंड है।

यदि कक्षा XII में अध्ययन किए गए विषय का सीयूईटी(यूजी)-2024 में उल्लेख नहीं किया गया है, तो उम्मीदवार को भाषा/डोमेन विशिष्ट विषय में उपस्थित होना चाहिए जो कक्षा XII में पढ़े गए विषय के समान/निकटता से संबंधित हो (उदाहरण के लिए, यदि किसी उम्मीदवार ने कक्षा XII में जैव रसायन का अध्ययन किया है, तो उसे सीयूईटी(यूजी)-2024 में जीव-विज्ञान में परीक्षा देनी चाहिए)। कक्षा XII में लिए गए विषयों के साथ सीयूईटी(यूजी)-2024 विषयों की समानता स्थापित करने के लिए, कम से कम 50% पाठ्यक्रम का मिलान करना चाहिए। विश्वविद्यालय समानता स्थापित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

टिप्पणी: सीयूईटी(यूजी)-2024 की सामान्य परीक्षा किसी भी विषय में मैप नहीं की जाएगी।

4.2 : वरीयता चयन

दिल्ली विश्वविद्यालय 69 महाविद्यालयों में 79 यूजी कार्यक्रम और 183 बी.ए. कार्यक्रम संयोजन की पेशकश के साथ, उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन, जितने चाहें उतने कार्यक्रम चुन सकते हैं। उम्मीदवार को उन सभी यूजी कार्यक्रमों का चयन करना होगा जिनमें वह सीएसएस(यूजी)-2024 के माध्यम से आवंटित होने पर प्रवेश लेने के इच्छुक हैं।

उम्मीदवार कार्यक्रमों और महाविद्यालयों के लिए अपनी वरीयताओं का चयन और आदेश करने में सक्षम होंगे। उम्मीदवार कई "प्रोग्राम+महाविद्यालय" संयोजन चुन सकते हैं। "उपलब्ध प्राथमिकताएं" टैब सभी संभावित "प्रोग्राम+महाविद्यालय" संयोजनों को प्रदर्शित करेगा जिन्हें उम्मीदवार चुन सकते हैं। उम्मीदवार महाविद्यालयों के साथ-साथ कार्यक्रमों को फ़िल्टर करने के लिए शीर्ष पर उपलब्ध "उन्नत फ़िल्टर" विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

उम्मीदवार को कार्यक्रम और महाविद्यालय का चयन करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि कार्यक्रम+महाविद्यालय संयोजन के चयन का क्रम भी वरीयता क्रम निर्धारित करेगा। उम्मीदवार कार्यक्रम+महाविद्यालय संयोजनों के वरीयता क्रम को प्राथमिकता देने के लिए पुनः व्यवस्थित कर सकते हैं। उम्मीदवार अपनी प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित करने के लिए "ऊपर, नीचे और वरीयता संख्या" आइकन का उपयोग कर सकते हैं। प्रस्तुत वरीयता आदेश सीट के आवंटन का निर्धारण करेगा (आवंटन नियमों के लिए अध्याय 5 देखें)। वरीयताओं का अंतिम क्रम, जैसा कि भरा और सहेजा गया है, फिर "चयनित प्राथमिकताएं" टैब में दिखाई देगा।

उम्मीदवार को कार्यक्रम+महाविद्यालय संयोजन का चयन करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। यह उम्मीदवार के सर्वोत्तम हित में है कि वह जितने कार्यक्रमों में शामिल होना चाहता है, उतने कार्यक्रमों का चयन करे, बशर्ते वह चयनित कार्यक्रमों की कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता को पूरा करता हो।

सलाह

वरीयता भरने के बंद होने के बाद वरीयताओं को जोड़ने/हटाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बी.ए. (प्रोग्राम) संयोजनों के लिए जहां गणित/सांख्यिकी/कंप्यूटर अनुप्रयोग/कंप्यूटर विज्ञान दो मुख्य विषयों में से एक है, यह अनिवार्य है कि उम्मीदवार ने बारहवीं कक्षा की परीक्षा में गणित का अध्ययन और उत्तीर्ण किया हो। इसी तरह, जहां भी एक भाषा को दो विषयों में से एक के रूप में पेश किया जा रहा है, उम्मीदवार को उस भाषा का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए।

उम्मीदवारों को नियमित अंतराल पर वरीयताओं को "सहेजना" सुनिश्चित करना चाहिए। वरीयता-भरने के दौरान उम्मीदवार द्वारा केवल कार्यक्रम+महाविद्यालय संयोजन का चयन और सहेजा जाता है, आवंटन और अपप्रेडेशन (यदि कोई हो) के लिए विचार किया जाएगा।

सलाह

प्राथमिकताएं देते समय शुल्क संरचना, महाविद्यालय का स्थान और महाविद्यालय से संबंधित अन्य सुविधाएं (जैसे, छात्रावास की उपलब्धता) देखें।

उम्मीदवारों को अपने सहेजे गए विकल्पों की पुष्टि करने के लिए "वरीयता चयन" का पूर्वावलोकन करना चाहिए।

चरण II की समय-सीमा तक पहुंचने पर, सहेजी गई प्राथमिकताएं स्वचालित रूप से लॉक हो जाएंगी और आवंटन के लिए उपयोग की जाएंगी।

4.3 : वरीयताओं का ताला लगाना

उम्मीदवार वरीयता-भरने की समय-सीमा से पहले, यदि वह चाहे तो चयनित संयोजनों की वरीयताओं को फिर से व्यवस्थित कर सकता है।

सबमिट करने से पहले, उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वरीयताओं का क्रम उसकी पसंद के अनुसार है। वरीयता-भरने की समय-सीमा के बाद कार्यक्रम+महाविद्यालय संयोजन वरीयता सूची को संपादित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अर्थात्, उम्मीदवार अपनी वरीयता भरने की समय-सीमा के बाद किसी अन्य कार्यक्रम और/अथवा महाविद्यालय को जोड़/काट नहीं सकता है।

सलाह

उम्मीदवारों को वरीयता भरने की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

अंतिम सहेजे गए वरीयता क्रम को वरीयता-भरने की समय-सीमा तक पहुंचने पर स्वचालित रूप से लॉक कर दिया जाएगा। ये लॉक प्राथमिकताएं सीएसएस (यूजी)-2024 के सभी राउंड के लिए सीटें आवंटित करने का आधार बनेंगी।

सलाह

कार्यक्रमों का चयन करते समय या वरीयताओं को चुनते समय जल्दबाजी न करें। धैर्य रखें और यूजी बीओआई-2024 में दिए गए कार्यक्रमों के पात्रता मानदंडों को ध्यान से पढ़ें।

4.3.1 : नकली रैंक

पहले सीएसएस आवंटन दौर के शुरू होने से पहले, विश्वविद्यालय कृत्रिम रैंक घोषित करेगा जो द्वितीय चरण के अंत में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत स्कोर और वरीयताओं के आधार पर विशुद्ध रूप से अस्थायी रैंक हैं।

कृत्रिम रैंक उम्मीदवार के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। इन रैंकों को वारंटी, व्यक्त या निहित, या एक वैध अपेक्षा के निर्माण या अध्ययन के कार्यक्रम या महाविद्यालय/विभाग/केंद्र के आवंटन के लिए अंतिम रैंक के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। कृत्रिम रैंक की घोषणा के बाद, यदि कोई उम्मीदवार किसी वरीयता को अद्यतन/संशोधित/जोड़/काट/पुनः आर्डर करना चाहता है, तो वह इस समय ऐसा कर सकता है।

हालांकि, उम्मीदवारों को नियमित अंतराल पर अपनी वरीयताओं को "सहेजना" चाहिए। नियमित आवंटन के लिए केवल सहेजी गई प्राथमिकताओं का उपयोग किया जाएगा।

तृतीय चरण

अध्याय – 5 आवंटन नियम

1. अनंतिम सीट आवंटन के संदर्भ में, 'आवंटित सीट' कार्यक्रम+महाविद्यालय के एक अद्वितीय संयोजन को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, x महाविद्यालय में एक "बी.ए. (ऑनर्स) मनोविज्ञान में बी.ए. आनर्स को 'आवंटित सीट' के रूप में जाना जाता है।
2. विश्वविद्यालय कार्यक्रम विशिष्ट पात्रता के अनुसार मेरिट की गणना करने के लिए एनटीए द्वारा प्रदान किए गए अंकों पर विचार करेगा।
3. **उच्चतम संभव वरीयता** निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करते हुए एक उम्मीदवार को अनंतिम रूप से आवंटित की जाएगी:
 - क. कार्यक्रम-विशिष्ट योग्यता।
 - ख. श्रेणी (यूआर/ओबीसी एनसीएल/एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस/अल्पसंख्यक)।
 - ग. सीटों की उपलब्धता।
 - घ. इस दस्तावेज़ (सीएसएस(यूजी)-2024), यूजी बीओआई-2024 में उल्लिखित कोई अन्य आवंटन नियम, नीतियां या मानदंड, या दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट पर प्रकाशित।
4. यूआर श्रेणी की सीटों के लिए मेरिट सूची में योग्यता के क्रम में सभी उम्मीदवार शामिल होंगे। किसी को भी इससे बाहर नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, अनारक्षित (यूआर) श्रेणी के लिए मेरिट सूची में एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को भी शामिल किया जाएगा, चाहे वे किसी भी श्रेणी के हों, यदि वे यूआर श्रेणी के लिए योग्यता के मानदंड को पूरा करते हैं। किसी भी उम्मीदवार को यूआर श्रेणी मेरिट सूची से सिर्फ इसलिए बाहर नहीं किया जा सकता है क्योंकि उम्मीदवार एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/ईडब्ल्यूएस/अल्पसंख्यक श्रेणी से संबंधित है या उसके तहत आवेदन किया है। जाति/श्रेणी के आधार पर भेदभाव पूरी तरह से गैरकानूनी है। दिल्ली विश्वविद्यालय इस आधार पर किसी उम्मीदवार/छात्र के साथ भेदभाव बर्दाश्त नहीं करता है। किसी भी उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
5. यदि एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/अल्पसंख्यक/दिव्यांग/केएम/सीडब्ल्यू/सिंगल गर्ल चाइल्ड/अनाथ श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के पास सीएसएस(यूजी)-2024 में आवेदन करते समय संबंधित जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र/दस्तावेज नहीं है, तो दावा के अनुसार संबंधित श्रेणी में आवंटन के लिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा। (श्रेणी प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी से संबंधित विवरण प्रवेश वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाते हैं)।
6. यदि विशेष कार्यक्रम के लिए आवेदन करने वाले पात्र एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों की कुल संख्या समाप्त हो जाती है, तो उस विशेष कार्यक्रम के लिए इस श्रेणी के तहत शेष सीटें पात्र एससी श्रेणी के उम्मीदवारों को आवंटित की जाएंगी और विलोमतः।
7. यदि किसी उम्मीदवार को किसी आरक्षित श्रेणी/उप-श्रेणी के तहत सीट आवंटित की गई थी और उसे श्रेणी/उप-श्रेणी/जाति दस्तावेजों में कमी के आधार पर खारिज कर दिया गया था, तो उसे यूआर श्रेणी में बाद के दौर (यदि कोई हो) में सीट आवंटन के लिए उसकी पात्रता, योग्यता और यूआर श्रेणी में सीटों की उपलब्धता के अनुसार विचार किया जा सकता है।

8. दाखिलों के दौर को कम करने और शैक्षिक सत्र को समय पर शुरू करने के लिए विश्वविद्यालय आवंटन के प्रारंभिक दौरों में अतिरिक्त आवंटन कर सकता है।

अध्याय - 6 सीट आवंटन और प्रवेश

आवंटन परिणाम की घोषणा पर, उम्मीदवार को आवंटित सीट की स्वीकृति के लिए अपने सीएसएस (यूजी)-2024 डैशबोर्ड पर लॉगिन करना होगा, यदि पेशकश की जाती है।

यह उम्मीदवार का उत्तरदायित्व है कि वह डैशबोर्ड पर लॉगिन करे और जांचे कि क्या सीट आवंटन के दिए गए दौर में सीट आवंटित की गई है, और यदि आवंटित की जाती है तो उसे सभी प्रवेश औपचारिकताओं को पूरा करना होगा।

6.1 : अनंतिम रूप से आवंटित सीट की स्वीकृति

एक बार किसी विशेष दौर में सीट आवंटित हो जाने के बाद, उम्मीदवार को दिए गए आवंटन दौर के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि/समय से पहले **आवंटित सीट को 'स्वीकार' करना होगा।** किसी विशेष आवंटित सीट की स्वीकृति का प्रावधान केवल उस दौर के लिए मान्य होगा जिसमें उम्मीदवार को सीट आवंटित की गई थी।

यदि किसी उम्मीदवार को किसी विशेष दौर में कई सीटों की पेशकश की जाती है (अधिसंख्य श्रेणी/सीटों में आवंटन के कारण), तो उसे "स्वीकार" करना होगा और केवल एक आवंटित सीट में प्रवेश लेना होगा।

आवंटित सीट को स्वीकार न करने के रूप में निष्क्रियता/कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसे अनंतिम रूप से आवंटित सीट में गिरावट के रूप में माना जाएगा और उम्मीदवार अब सीएसएस (यूजी)-2024 के बाद के नियमित आवंटन राउंड में भाग नहीं ले पाएंगे।

6.2 : महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन अनुमोदन

एक बार जब उम्मीदवार अनंतिम रूप से आवंटित सीट "स्वीकार" कर लेता है, तो संबंधित महाविद्यालय उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन अपलोड की गई पात्रता और दस्तावेजों को सत्यापित करेगा। महाविद्यालय निर्धारित समय-सीमा के भीतर निम्नलिखित को सत्यापित करेगा:

1. उम्मीदवार की न्यूनतम पात्रता।
2. उम्मीदवार की कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता।
3. विषय मानचित्रण: केवल उन सीयूईटी (यूजी)-2024 भाषा और/या डोमेन विशिष्ट कागजात पर विचार किया जाएगा जिसमें उम्मीदवार ने बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण की है।
4. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की वैधता और प्रामाणिकता।

ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान, यदि कोई महाविद्यालय उम्मीदवार से अधिक स्पष्टता/जानकारी चाहता है, तो वह उम्मीदवार से प्रश्न कर सकता है (अध्याय 6.3 देखें)।

सत्यापन के बाद, महाविद्यालय उम्मीदवार की अनंतिम रूप से आवंटित सीट को या तो 'अनुमोदन' करेगा या 'अस्वीकार' करेगा। महाविद्यालयों द्वारा कोई भी आवेदन अप्राप्य नहीं छोड़ा जाएगा।

6.2.1 : अनुमोदन के मामले में:

सलाह

उम्मीदवारों को प्रवेश के लिए गतिविधियों की अनुसूची की जांच करनी चाहिए, जो दिल्ली विश्वविद्यालय (admission.uod.ac.in) की प्रवेश वेबसाइट पर उपलब्ध है।

सलाह

बाद के राउंड में भाग लेने के लिए, उम्मीदवार को निर्धारित समय के भीतर आवंटित सीट स्वीकार करनी होगी।

एक बार जब महाविद्यालय अनुमोदन प्रदान कर देता है, तो उम्मीदवार को 'प्रवेश शुल्क' का भुगतान करना होगा (अध्याय 6.4 देखें)।

6.2.2 : अस्वीकृति के मामले में:

ऑनलाइन सत्यापन के समय, यदि कोई आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है, तो महाविद्यालय अस्वीकृति का कारण बताएगा। किसी आवेदन को अस्वीकार करने के लिए, महाविद्यालय निम्नलिखित में से किसी भी कारण का संकेत देगा:

1. उम्मीदवार द्वारा न्यूनतम पात्रता की पूर्ति न करना।
2. उम्मीदवार द्वारा कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता की पूर्ति न करना।
3. विषय-मानचित्रण मानदंडों की पूर्ति न करना।
4. उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत अमान्य दस्तावेज/प्रमाणपत्र।
5. निर्धारित समय के भीतर महाविद्यालय द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने में विफलता।

6.3 : महाविद्यालयों/विभागों/केंद्रों द्वारा अनुमोदन के दौरान प्रश्नों (यदि कोई हो) का उत्तर देना

ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान, यदि कोई महाविद्यालय कोई प्रश्न उठाता है तो उम्मीदवार को निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन (उम्मीदवार के डैशबोर्ड के माध्यम से) उत्तर देना होगा। प्रश्न (प्रश्नों) का उत्तर देने में विफलता आवंटित सीट की अस्वीकृति का कारण बनेगी और उम्मीदवार सीएसएस (यूजी)-2024 से बाहर हो जाएगा।

सलाह

उम्मीदवारों को नियमित रूप से अपने डैशबोर्ड की जांच करनी चाहिए और निर्धारित समय के भीतर महाविद्यालय द्वारा उठाए गए प्रश्नों (यदि कोई हो) का उत्तर देना चाहिए।

6.4 : अनंतिम रूप से आवंटित सीट पर प्रवेश

महाविद्यालय की मंजूरी के बाद, उम्मीदवार को अनुमोदित सीट के लिए प्रवेश शुल्क का भुगतान करना होगा। प्रवेश शुल्क के सफल भुगतान की प्राप्ति के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया को पूरा माना जाएगा।

यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर प्रवेश शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है, तो इसे अनंतिम रूप से आवंटित सीट को रद्द करना माना जाएगा। उम्मीदवार आवंटित सीट के सभी अधिकारों को जब्त कर लेगा और बाद के किसी भी नियमित सीएसएस (यूजी)-2024 आवंटन राउंड के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

सलाह

उम्मीदवारों को समय पर भुगतान करना चाहिए और अंतिम तिथि की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

अध्याय – 7 परवर्ती आवंटन दौर

अस्वीकृति, रद्दीकरण और निकासी के कारण उत्पन्न होने वाली सीटों की उपलब्धता के आधार पर, विश्वविद्यालय कई आवंटन दौरों की घोषणा कर सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रत्येक आवंटन दौर से पहले अपनी प्रवेश वेबसाइट (admission.uod.ac.in) पर रिक्त सीटों को प्रदर्शित करेगा। सभी प्रवेशित उम्मीदवार जो किसी विशेष दौर में "अपग्रेड" विकल्प (अध्याय 8 देखें) का विकल्प चुनते हैं, उन्हें सीटों की उपलब्धता के अधीन संबंधित सीएसएस(यूजी)-2024 आवंटन दौर के लिए माना जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को किसी भी दौर में उनकी पहली वरीयता आवंटित की गई थी, उन्हें आवंटन के बाद के दौर में विचार नहीं किया जाएगा।

अध्याय – 8 अपग्रेड अथवा फ्रीज़

आवंटन दौर की घोषणा से पहले, विश्वविद्यालय सभी भर्ती उम्मीदवारों के लिए एक "अपग्रेड" विंडो खोलेगा।

8.1 : अपग्रेड

एक भर्ती उम्मीदवार 'अपग्रेड' विकल्प का चयन कर सकता है, जो उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत उच्च वरीयता में अपग्रेडेशन की अनुमति देगा। प्रवेशित उम्मीदवार जो अपग्रेडेशन का विकल्प चुनते हैं, उन्हें आवंटन और अपग्रेडेशन नीति के आधार पर स्वचालित रूप से अपग्रेड किया जाएगा।

'अपग्रेड' विकल्प चुनने का मतलब यह होगा कि उम्मीदवार बाद के दौर (यदि कोई हो) में अपनी उच्च वरीयता के कार्यक्रम+महाविद्यालय संयोजन में प्रवेश के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सहमति देता है। यदि नई वरीयता आवंटित की जाती है तो उसकी वर्तमान भर्ती सीट स्वतः रद्द कर दी जाएगी।

एक उम्मीदवार जो 'अपग्रेड' का विकल्प चुनता है, वह प्रोग्राम+महाविद्यालय संयोजनों को भी पुनः व्यवस्थित कर सकता है जो आवंटित की तुलना में वरीयता में अधिक थे।

कार्यक्रम+महाविद्यालय संयोजन जिसमें उसने पहले प्रवेश लिया था, किसी भी बाद के दौर में उम्मीदवार को कभी भी पेश नहीं किया जाएगा। इसी तरह, कार्यक्रम+महाविद्यालय संयोजन जो वरीयता क्रम में नीचे थे, जिस पर उम्मीदवार ने पहले प्रवेश लिया था, किसी भी बाद के नियमित आवंटन दौर में उम्मीदवार को फिर से पेश नहीं किया जाएगा।

अपग्रेड विकल्प उस उम्मीदवार के लिए उपलब्ध नहीं होगा जिसे उसकी पहली वरीयता आवंटित की गई थी।

सीट आवंटन के सभी दौरों में 'अपग्रेड' विकल्पों की जांच करते रहना उम्मीदवार का उत्तरदायित्व होगा। अपग्रेडेशन प्रक्रिया में भाग लेने में विफलता/अक्षमता को किसी भी परिस्थिति में शिकायत नहीं माना जाएगा।

एक उम्मीदवार जो अपग्रेड हो जाता है, उसे अपग्रेड की गई सीट को 'स्वीकार' करना होगा और अपग्रेड की गई आवंटित सीट पर प्रवेश प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार अपग्रेड की गई सीट पर कोई गतिविधि नहीं करता है, तो इसे डिफॉल्ट रूप से रद्द माना जाएगा और उम्मीदवार सीएसएएस (यूजी)-2024 से बाहर हो जाएगा।

यदि कोई उम्मीदवार अपग्रेड नहीं करता है, तो पहले की सीट पर उसका प्रवेश बरकरार रहेगा।

अपग्रेड का चयन करने का मतलब अगले/किसी भी बाद के आवंटन राउंड में सीट का आश्वासन नहीं है।

अपग्रेडेशन निम्नलिखित के अधीन है:

- क. कार्यक्रम-विशिष्ट योग्यता
- ख. वरीयता क्रम
- ग. सीटों की उपलब्धता

सलाह
उम्मीदवारों को अपने प्रवेश को केवल तभी "फ्रीज़" करना चाहिए जब वे आवंटित सीट से संतुष्ट हों और बाद के आवंटन के लिए विचार नहीं करना चाहते हों।

8.2 : फ्रीज़

एक उम्मीदवार जिसने आवंटित सीट पर प्रवेश लिया है और इसे जारी रखने की इच्छा रखता है, उसे अपने डैशबोर्ड के माध्यम से 'फ्रीज़' अनुरोध प्रस्तुत करना चाहिए। 'फ्रीज़' का चयन करने पर, ऐसे उम्मीदवार को कभी भी "अपग्रेडेशन" का विकल्प चुनने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यदि कोई प्रवेशित अभ्यर्थी न तो अपग्रेडेशन का विकल्प चुनता है और न ही फ्रीज़ करता है और उस राउंड में निष्क्रिय रहता है तो उसके द्वारा लिया गया प्रवेश बरकरार रखा जाएगा और बाद के किसी भी राउंड में अपग्रेडेशन के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

सलाह
एक बार फ्रीज़ विकल्प का प्रयोग करने के बाद, उम्मीदवार को अपग्रेड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अध्याय-9 अनंतिम रूप से आवंटित सीट/प्रवेश रद्द करना

1. निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनंतिम रूप से आवंटित सीट को 'स्वीकार' करने में विफलता आवंटित सीट को रद्द करने का कारण बनेगी।
2. यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय के भीतर प्रवेश शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है तो अनंतिम रूप से आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी।
3. अनंतिम रूप से आवंटित सीट/प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा, यदि किसी भी समय, कोई भी दस्तावेज/प्रमाणपत्र अमान्य/धोखाधड़ी पाया जाता है।
4. अनंतिम रूप से आवंटित सीट/प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा, यदि किसी भी समय, यह पाया जाता है कि कोई उम्मीदवार दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा घोषित न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

अध्याय – 10 उम्मीदवार द्वारा प्रवेश वापस लेना

एक उम्मीदवार जिसने किसी कार्यक्रम में प्रवेश लिया है, लेकिन इससे हटना चाहता है, वह अपने डैशबोर्ड के माध्यम से 'निकासी' विकल्प का चयन करके और 1000.00 रुपये (अप्रतिदेय) के निकासी शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकता है।

एक उम्मीदवार जो अपना प्रवेश वापस लेता है, वह दिल्ली विश्वविद्यालय के यूजी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपनी पात्रता खो देगा। बाद के किसी भी नियमित आवंटन दौर, यदि कोई हो, में आगे कोई भागीदारी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्पॉट एडमिशन राउंड (यदि कोई हो) की घोषणा पर निकासी विकल्प निलंबित रहेगा।

अध्याय – 11 मिड-एंटी

मिड-एंटी के प्रावधान के माध्यम से, जो उम्मीदवार या तो निर्धारित समय (प्रथम चरण के दौरान) के भीतर सीएसएस(यूजी)-2024 के लिए आवेदन करने में विफल रहे या द्वितीय चरण को पूरा नहीं कर सके, और सीएसएस(यूजी)-2024 में भाग लेने के इच्छुक हैं, वे भाग ले सकते हैं (जब विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किया गया हो)। ऐसे उम्मीदवार 1000.00 रुपये (अप्रतिदेय) के मिड-एंटी शुल्क का भुगतान करके ऐसा कर सकते हैं।

एक उम्मीदवार जो सीएसएस(यूजी)-2024 के बीच में आवेदन करता है, उसके पास उन उम्मीदवारों को आवंटित सीटों पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा, जिन्होंने प्रारंभिक चरण के दौरान सीएसएस(यूजी)-2024 में आवेदन किया था। ऐसे उम्मीदवारों को सीटों के आवंटन पर बाद के दौर (यदि कोई हो) के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करने, सीटों की उपलब्धता और अन्य सीएसएस(यूजी)-2024 नियमों के अधीन विचार किया जा सकता है।

एक बार सीट उस उम्मीदवार को आवंटित हो जाने के बाद, जिसने सीएसएस(यूजी)-2024 के बीच में आवेदन किया है, उसके लिए आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। आवंटित सीट को स्वीकार करने में विफलता दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के उम्मीदवार के अधिकार को जप्त कर लेगी। ऐसे उम्मीदवारों को आवंटित सीट को बाद के किसी भी आवंटन दौर में अपग्रेड नहीं किया जाएगा।

केवल मिड-एंटी के माध्यम से आवेदन करना सीएसएस(यूजी)-2024 के माध्यम से सीट के आवंटन की गारंटी नहीं देता है। मिड-एंटी शुल्क के सफल प्रेषण के बाद ही मिड-एंटी पर विचार किया जाएगा।

ईसीए, खेल अधिसंख्य कोटा, निष्पादन-आधारित कार्यक्रम (अर्थात, बी.ए. (आनर्स) संगीत, बी.एससी. (पीई, एचई और एस)) और व्यावहारिक-आधारित कार्यक्रम (अर्थात, बीएफए) के लिए मिड-एंटी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नियमित सीएसएस(यूजी)-2024 राउंड के पूरा होने के बाद, यदि सीटें खाली रहती हैं, तो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश के स्पोर्ट राउंड की घोषणा कर सकता है।

जिन उम्मीदवारों ने सीएसएस(यूजी)-2024 के लिए आवेदन किया है, लेकिन स्पोर्ट एडमिशन राउंड की घोषणा की तारीख को किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है, वे स्पोर्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं।

स्पोर्ट एडमिशन की घोषणा होने पर सभी प्रवेशित अभ्यर्थियों के डैशबोर्ड को फ्रीज़ मोड में रखा जाएगा और उन्हें न तो अपग्रेडेशन के लिए विचार किया जाएगा और न ही उनके एडमिशन वापस लेने की अनुमति दी जाएगी।

स्पोर्ट एडमिशन राउंड में विचार करने के लिए, उम्मीदवार को अपने डैशबोर्ड के माध्यम से 'स्पोर्ट एडमिशन' का विकल्प चुनना होगा।

प्रत्येक स्पोर्ट एडमिशन राउंड के लिए, विश्वविद्यालय प्रत्येक प्रोग्राम की खाली सीटों को प्रदर्शित करेगा। एक इच्छुक उम्मीदवार केवल एक कार्यक्रम का चयन करने में सक्षम होगा।

स्पोर्ट प्रवेश में, आवंटन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा:

1. सीटों की उपलब्धता।
2. कार्यक्रम-विशिष्ट योग्यता।
3. महाविद्यालय/महाविद्यालयों की वरीयता का क्रम।
4. श्रेणी।
5. इस दस्तावेज़ (सीएसएस(यूजी)-2024), यूजी बीओआई-2024 में उल्लिखित कोई अन्य आवंटन नियम, नीतियां या मानदंड, या दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट पर प्रकाशित।

उम्मीदवार को स्पोर्ट राउंड में आवंटित सीट पर एडमिशन लेना अनिवार्य होगा। स्पोर्ट एडमिशन राउंड में आवंटित सीट को स्वीकार करने में विफलता दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की पात्रता को ज़ब्त कर लेगी और वह सीएसएस(यूजी)-2024 से बाहर हो जाएगा।

स्पोर्ट एडमिशन राउंड के दौरान 'अपग्रेड' और 'विदड़ों' का कोई विकल्प नहीं होगा। **किसी विशेष स्पोर्ट एडमिशन राउंड में आवंटित सीट अंतिम होगी** और स्पोर्ट एडमिशन के किसी भी बाद के राउंड में अपग्रेड नहीं की जाएगी।

अध्याय-13 टाई निर्णायक के नियम

टाई की स्थिति में, जहां दो या दो से अधिक उम्मीदवारों का प्रोग्राम+महाविद्यालय कॉम्बिनेशन के लिए समान सीयूईटी (यूजी) -2024 मेरिट स्कोर है, टाई निर्णय के लिए बताए गए क्रम में निम्नलिखित नियम लागू किए जाएंगे:

1. बारहवीं कक्षा के सर्वश्रेष्ठ 3 विषयों में कुल अंकों के उच्च प्रतिशत वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।
2. बारहवीं कक्षा के सर्वश्रेष्ठ 4 विषयों में कुल अंकों के उच्च प्रतिशत वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।
3. बारहवीं कक्षा के सर्वश्रेष्ठ 5 विषयों में कुल अंकों के उच्च प्रतिशत वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।
4. उम्मीदवार की आयु; वरीयता उस उम्मीदवार को दी जाएगी जिसकी जन्म तिथि पहले है (जैसा कि दसवीं कक्षा के प्रमाणपत्र में उल्लेख किया गया है)।

टिप्पणी:

1. यदि अंक-तालिका में कक्षा XI और कक्षा XII दोनों के अंक हैं, तो केवल कक्षा XII के अंकों पर विचार किया जाएगा।
2. सिद्धांत, प्रैक्टिकल या योग से संबंधित अंकों की प्रविष्टि में कोई विसंगति, उम्मीदवार का एकमात्र उत्तरदायित्व होगा।
3. यदि बारहवीं कक्षा की अंक-तालिका में सीजीपीए/ग्रेड शामिल हैं, तो उम्मीदवार को जारी करने वाले परीक्षा बोर्ड के अनुसार ग्रेड को समकक्ष अंक/प्रतिशत में परिवर्तित करना होगा (ग्रेड रूपांतरण के लिए अनुसूची II देखें)।

अध्याय – 14 शुल्क का प्रेषण

प्रवेश शुल्क की सफल प्राप्ति के बाद ही एक उम्मीदवार के प्रवेश की पुष्टि की जाएगी। प्रवेश शुल्क का भुगतान केवल उम्मीदवार के डैशबोर्ड के माध्यम से किया जाना चाहिए। यदि निर्धारित समय के भीतर प्रवेश शुल्क सफलतापूर्वक प्रेषित नहीं किया जाता है, तो प्रवेश किसी भी परिस्थिति में पूर्ण नहीं माना जाएगा। सभी भुगतानों के लिए, उम्मीदवारों को इनमें से किसी भी भुगतान मोड का उपयोग करना चाहिए: नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई।

14.1 : वर्चुअल वॉलेट

प्रवेश शुल्क के सफल प्रेषण पर, एक उम्मीदवार के लिए एक वर्चुअल वॉलेट बनाया जाएगा।

यदि कोई उम्मीदवार अपग्रेड हो जाता है और अपग्रेड की गई सीट का प्रवेश शुल्क उम्मीदवार के वर्चुअल वॉलेट में राशि से अधिक है, तो उसे निर्धारित समय के भीतर अंतर राशि का भुगतान करना होगा।

यदि अपग्रेड की गई सीट का प्रवेश शुल्क उम्मीदवार के वर्चुअल वॉलेट में राशि से कम है, तो महाविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने पर इसे ऑटो-डेबिट किया जाएगा।

14.2 : भुगतान विफलताएं

भुगतान विफलता से संबंधित मुद्दों के संभावित मामले में:

1. यदि खाते से राशि नहीं काटी जाती है, तो उम्मीदवार को भुगतान की समय-सीमा से पहले फिर से भुगतान करने का प्रयास करना चाहिए।
2. उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन भुगतान करने के लिए एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग किया जाए।
3. सफल भुगतान करने के लिए उम्मीदवार को सही क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना चाहिए।
4. यदि राशि काट ली जाती है, लेकिन सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो उम्मीदवार अपने स्रोत बैंक से पुष्टि कर सकते हैं।
5. यदि स्रोत बैंक से एक सफल लेनदेन की पुष्टि की जाती है और भुगतान विफलता डैशबोर्ड पर दिखाई देती है, तो उस स्थिति में, उम्मीदवार आईसीआईसीआई ईजीपे पेमेंट गेटवे हेल्पलाइन से सोमवार से शनिवार (दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर) सुबह 9.30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

सलाह

प्रवेश शुल्क के सफल भुगतान पर, उम्मीदवार को भविष्य के संदर्भ के लिए लेनदेन विवरण का रिकॉर्ड रखना चाहिए।

सलाह

उम्मीदवारों को किसी भी अंतिम मिनट की जल्दबाजी से बचने के लिए समय-सीमा से पहले शुल्क भुगतान प्रक्रिया को अच्छी तरह से पूरा करना होगा।

फोन: +91-9540090656, +91-9540090665

ईमेल पता : dupaymentquery@icici.com

भुगतान से संबंधित प्रश्नों के लिए, कृपया नीचे दिए गए मानक प्रारूप का उपयोग करें:

उम्मीदवार का नाम	लेन-देन की तिथि	लेन-देन संख्या/आई डी	पाठ्यक्रम आवेदित	ईमेल आईडी	दिल्ली विश्वविद्यालय के आवेदन में दर्ज किया गया मोबाइल नंबर	केरी की प्रकृति
####	दिन.माह.व र्ष	2##### #	जैसे, बी.ए. (ऑनर्स) हिंदी	उम्मीदवार की पंजीकृत ईमेल आईडी	उम्मीदवार का पंजीकृत मोबाइल नंबर	####

अध्याय – 15 रिफंड नीति

उम्मीदवार द्वारा प्रवेश वापस लेने के कारण, पूर्ण प्रवेश शुल्क केवल तभी वापस किया जाएगा जब वापसी प्रवेश की अंतिम तारीख से पहले की गई हो, जैसा कि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किया गया है। प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद की गई निकासी के लिए प्रवेश शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

निम्नलिखित के लिए रिफंड नहीं की जाएगी:

- क) सीएसएस (यूजी)-2024 आवेदन-शुल्क।
- ख) मिड-एंट्री शुल्क।
- ग) निकासी शुल्क।

प्रवेश बंद होने पर रिफंड की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय दाखिले बंद होने के तीन माह के भीतर प्रतिदाय का निपटान करने का प्रयास करेगा।

सीएसएस(यूजी)-2024 के समापन पर, सभी प्रवेशित उम्मीदवारों को प्रवेशित महाविद्यालय को रिपोर्ट करना होगा और दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के भौतिक सत्यापन सहित संबंधित महाविद्यालय/विभाग/केंद्र की सभी प्रवेश औपचारिकताओं को पूरा करना होगा।

उम्मीदवार का प्रवेश विशुद्ध रूप से अनंतिम है और संबंधित महाविद्यालय/विभाग द्वारा मूल दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन है। महाविद्यालय सभी दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की फिर से जांच करेगा। वास्तविक सत्यापन के दौरान, यदि कोई दस्तावेज/प्रमाणपत्र अपर्याप्त/गैर उपयुक्त पाया जाता है, तो स्वतः ही प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा, ऐसा उम्मीदवार शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी यूजी कार्यक्रम में प्रवेश के अवसर को खो देगा।

अध्याय – 17
बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण स्थिति में परिवर्तन

सीएसएस(यूजी)-2024 आवेदन-पत्र के बंद होने के बाद परीक्षा बोर्ड द्वारा एक उम्मीदवार की बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण स्थिति (पुनः कुल, पुनर्मूल्यांकन, आदि के कारण) बदल सकती है। निम्नलिखित केवल सीट आवंटन दौर के दौरान उत्तीर्ण स्थिति के इस तरह के संशोधन के लिए लागू होगा:

- क) कक्षा XII उत्तीर्ण स्थिति के संशोधन के कारण, एक उम्मीदवार 'न्यूनतम सामान्य पात्रता' (अर्थात, उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा XII या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए) मानदंडों को पूरा न करने के कारण अपात्र हो सकता है। ऐसे मामले में, उम्मीदवार सीट आवंटन/स्वीकृति/दस्तावेज सत्यापन के किसी भी चरण में या बाद के चरण में भी अयोग्य होगा। ऐसे उम्मीदवारों का प्रवेश इस संबंध में बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जाएगा।
- ख) कक्षा XII उत्तीर्ण स्थिति के संशोधन के कारण, यदि कोई उम्मीदवार 'न्यूनतम सामान्य पात्रता' (अर्थात उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा XII या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए) मानदंडों को पूरा करता है और प्रवेश के लिए पात्र हो जाता है, तो ऐसा उम्मीदवार मिड-एंट्री के माध्यम से सीएसएस(यूजी)-2024 में आवेदन कर सकता है।

ऐसे सभी मामलों में विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

अध्याय – 18
अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्रवेश

दिल्ली विश्वविद्यालय अपने छह (6) अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में सिख और ईसाई अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को प्रवेश प्रदान करता है। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में, 50% सीटें अनारक्षित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए हैं और 50% अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

ईसाई अल्पसंख्यक:

जीसस एंड मैरी महाविद्यालय (महिला)
सेंट स्टीफन महाविद्यालय

सिख अल्पसंख्यक:

माता सुंदरी महाविद्यालय (महिला)
श्री गुरु गोबिंद सिंह महाविद्यालय ऑफ कॉमर्स
श्री गुरु नानक देव खालसा महाविद्यालय
श्री गुरु तेग बहादुर खालसा महाविद्यालय

अल्पसंख्यक श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सीएसएस(यूजी)-2024 में आवेदन करते समय संबंधित अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।

अल्पसंख्यक श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों को प्रवेश के समय अल्पसंख्यक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें किसी भी सरकारी संगठन/स्थानीय नगर पालिका/पंचायत/शिक्षा बोर्ड/स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र आदि द्वारा जारी उम्मीदवार की अल्पसंख्यक स्थिति का विवरण हो, या जैसा लागू हो, डीएसजीएमसी/डीएमसी या बपतिस्म प्रमाणपत्र और/या चर्च सदस्यता प्रमाणपत्र द्वारा जारी किया गया हो।

सिख उम्मीदवारों के लिए अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में, निम्नलिखित पर ध्यान दिया जाए:

- क) सिख अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र अर्थात् सरकारी संगठन/स्थानीय नगरपालिका/पंचायत/शिक्षा बोर्ड/स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र आदि जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों अथवा जैसा लागू हो, के पास संबंधित सरकार से अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन/प्राधिकार होना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में वे सिख अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कार्य करते हैं।
- ख) दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति द्वारा जारी सिख रहत मर्यादा में परिभाषित सिख की परिभाषा/मापदंडों का प्रमाणपत्र में उल्लेख किया जाना चाहिए।

अध्याय – 19 शिकायत निवारण

19.1 : महाविद्यालय शिकायत निवारण समिति

प्रत्येक महाविद्यालय प्रवेश के दौरान उत्पन्न होने वाली शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण समिति की स्थापना करेगा। इसके अलावा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/अल्पसंख्यक और दिव्यांग श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों की शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत निवारण की एक उप-समिति भी स्थापित की जाएगी। महाविद्यालय शिकायत निवारण समिति और उप-समिति का विवरण महाविद्यालय की वेबसाइट और दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा ताकि निर्धारित समय के भीतर उम्मीदवारों की आवश्यकताओं/प्रश्नों को सुविधाजनक बनाया जा सके और उनका समाधान किया जा सके। प्रवेश के बारे में शिकायत रखने वाले उम्मीदवारों को पहले संबंधित महाविद्यालय की शिकायत निवारण समिति से संपर्क करना चाहिए।

19.2 : केंद्रीय शिकायत निवारण समिति

यदि महाविद्यालय द्वारा उचित समय के भीतर शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवार दिल्ली विश्वविद्यालय की केंद्रीय शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर सकते हैं। यह समिति उम्मीदवारों के आवंटन और प्रवेश संबंधी मुद्दों का निवारण करेगी। केंद्रीय शिकायत निवारण समिति का विवरण दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

यदि कोई शिकायत प्रासंगिक और वास्तविक पाई जाती है, और यदि किसी विशिष्ट कार्यक्रम+महाविद्यालय संयोजन में सीटें भर दी गई हैं, तो ऐसे उम्मीदवार को एक अधिसंख्य सीट की पेशकश की जाएगी। शिकायतों के संबंध में संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होंगे।

ईसीए, खेल अधिसंख्य कोटा और सीडब्ल्यू से संबंधित प्रवेश शिकायतों का निवारण दिल्ली विश्वविद्यालय की संबंधित समितियों द्वारा किया जाएगा।

सलाह

केंद्रीय शिकायत निवारण समिति से संपर्क करने के लिए उम्मीदवारों को पहले ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग करना होगा।

20.1 निष्पादन आधारित प्रोग्राम्स के लिए सामान्य जानकारी

1. बी.ए. (ऑनर्स) में प्रवेश पाने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को बी.ए. (ऑनर्स) में प्रवेश लेने के लिए प्रेरित किया गया है। संगीत के लिए संबंधित बी.ए. (ऑनर्स) (संगीत+महाविद्यालय संयोजन का वरीयता में भरने में चयन करना होगा। इसी तरह, बी.एससी. शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेल (बी.एससी. (पीई, एचई एंड एस)) में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को वरीयता-भरने में बी.एससी. (पीई, एचई एंड एस)+आईजीआईपीईएस संयोजन का चयन करना होगा।
2. बी.ए. (ऑनर्स) के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवार संगीत और बी.एससी. शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेल (बी.एससी. (पीई, एचई एंड एस)) को निष्पादन-आधारित परीक्षा देनी होगी।
3. मेरिट सूची के लिए, कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता से प्राप्त सीयूईटी(यूजी)-2024 स्कोर को 50% भारिता दी जाएगी, और निष्पादन-आधारित परीक्षण से प्राप्त स्कोर को 50% भारिता दी जाएगी।
4. उम्मीदवारों को शुरू में संगीत विभाग और शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा ऑफ़लाइन निष्पादन-आधारित परीक्षण/परीक्षाओं के लिए सीयूईटी(यूजी)-2024 स्कोर के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में स्वीकृत सीटों की संख्या का सात (7) गुना बुलाया जाएगा। निष्पादन-आधारित परीक्षण एक सप्ताह के भीतर पूरे किए जाएंगे, और अंक 7 कार्य दिवसों के भीतर वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। यदि आवश्यक हो, तो सीटों को भरने के लिए निष्पादन-आधारित परीक्षा के लिए अधिक उम्मीदवारों को बुलाया जा सकता है।

20.2 बी.ए. (ऑनर्स) संगीत

1. बी.ए. (ऑनर्स) के लिए निष्पादन-आधारित परीक्षा (ऑडिशन) संगीत अधिकतम 100 अंकों की होगी।
2. एक उम्मीदवार, जिसके पास बारहवीं कक्षा में संगीत नहीं है, को प्रमाणपत्र/अंक-तालिका प्रस्तुत करनी होगी और यह दिखाना होगा कि उसने कम से कम तीन (03) वर्षों के लिए गुरु/मान्यता प्राप्त संगीत संस्थान से सीखा है।
3. उम्मीदवार को सीएसएस(यूजी)-2024 में आवेदन करने के समय संस्थान द्वारा जारी एक (01) प्रमाणपत्र/अंक-तालिका अपलोड करनी होगी जैसा कि बिंदु 5. (क), 5. (ख) में कहा गया है।
4. प्रमाणपत्र और अंक-तालिका गुरु/संस्थान के लेटर हेड पर होनी चाहिए।
5. केवल निम्नलिखित गुरु/संस्थानों द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों/अंक-तालिकों पर विचार किया जाएगा:

क) हिंदुस्तानी संगीत (गायन/वाद्य) और तालवाद्य संगीत में बी.ए. (ऑनर्स) संगीत

के लिए:

- i. भातखंडे संगीत विद्यापीठ (मुख्य शाखाएँ)
- ii. गंधर्व महाविद्यालय मंडल (मुख्य शाखाएँ)
- iii. प्रयाग संगीत समिति (मुख्य शाखाएँ)
- iv. इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (मुख्य शाखाएँ)
- v. भारतीय विद्या भवन (मुख्य शाखाएँ)
- vi. भारतीय कला केंद्र, नई दिल्ली
- vii. संगीत भारती, नई दिल्ली
- viii. त्रिवेणी कला संगम, नई दिल्ली
- ix. प्राचीन कला केंद्र, चंडीगढ़

ख) बी.ए. (ऑनर्स) के लिए कर्नाटक संगीत में संगीत (गायन/वाद्य) :

- i. संगीत अकादमी, चेन्नई, तमिलनाडु से डिप्लोमा प्रमाणपत्र।
- ii. तकनीकी बोर्ड, आंध्र प्रदेश सरकार-द्वारा संगीत में प्रमाणपत्र कोर्स।
- iii. संगीत में उच्च/निम्न ग्रेड का प्रमाणपत्र, कर्नाटक सरकार।
- iv. भारतीय सेवा संघ, पालघाट, केरल द्वारा संगीत में राग संपूर्ण प्रमाणपत्र कोर्स
- v. प्राचीन कला केंद्र, चंडीगढ़

20.2.1 निष्पादन-आधारित परीक्षण के लिए अंकन योजना

1. हिंदुस्तानी संगीत - गायन और वाद्य के उम्मीदवारों के लिए निष्पादन आधारित परीक्षण (ऑडिशन) के लिए अंकन योजना निम्नानुसार होगी:

क्र.सं.	अंक	भारिता	मानदंड
1.	50	50%	पसंद राग में विलम्बित और ड्रुत रचनाएँ (मुखर संगीत) और मसीतखानी और रज़ाखानी गट्स (वाद्य संगीत)
2.	20	20%	सुर और ताल
3.	20	20%	आलाप और ताना
4.	10	10%	सौंदर्यशास्त्र और समग्र प्रस्तुति

2. कर्नाटक संगीत-गायन और वाद्य के आवेदकों के लिए निष्पादन-आधारित परीक्षण (ऑडिशन) के लिए अंकन योजना निम्नानुसार होगी-

क्र.सं.	अंक	भारिता	मानदंड
1.	25	25%	कर्नाटक संगीत रचनाएँ (राग की उम्मीदवार की पसंद)
2.	20	20%	उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई रचनाओं (राग-एस) से विशेषज्ञों की पसंद

3.	25	25%	ताल-लय पर कमान
4.	10	10%	सुधार करने की क्षमता (अलापना/नेरावल/स्वर कल्पना)
5.	20	20%	श्रुति/स्वरस्थान (सही पिच और नोट्स का सही स्थान), समग्र प्रस्तुति आदि को बनाए रखने में निपुणता।

3. हिंदुस्तानी संगीत-टक्कर के आवेदकों के लिए निष्पादन-आधारित परीक्षण (ऑडिशन) के लिए अंकन योजना निम्नानुसार होगी-

क्र.सं.	अंक	भारिता	मानदंड
1.	50	50%	ताल, बोल, रचनाएँ
2.	25	25%	तकनीक
3.	25	25%	समग्र प्रस्तुति

20.2.2 सभी उम्मीदवारों (दिल्ली एनसीआर के बाहर के उम्मीदवारों सहित) के लिए निष्पादन-आधारित परीक्षा आयोजित करने का विवरण:

1. सभी उम्मीदवारों के लिए निष्पादन-आधारित परीक्षा का स्थान है:
संगीत विभाग
संगीत और ललित कला संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली-110007
2. परीक्षा केवल ऑफ़लाइन मोड में आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित करने के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. दिल्ली एनसीआर के बाहर के उम्मीदवारों के निष्पादन-आधारित परीक्षण समग्र सूची के वर्णमाला क्रम के अनुसार किए जाएंगे। बाहरी उम्मीदवारों के लिए अलग से कोई सूची तैयार नहीं की जाएगी।
4. परीक्षा के समय, उम्मीदवारों को एनटीए द्वारा आयोजित सीयूईटी (यूजी)-2024 के परिणाम की हार्डकॉपी लानी होगी।
5. उम्मीदवारों के माता-पिता/अभिभावक/रिश्तेदारों को कार्यक्रम स्थल के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. उम्मीदवारों को संगीत website-music.du.ac.in विभाग में या विभाग के नोटिस बोर्ड पर निष्पादन-आधारित परीक्षा की अपनी संबंधित तिथियों की जांच करनी होगी।
7. संगीत विभाग निष्पादन-आधारित परीक्षा के लिए वाद्ययंत्र और संगतकार प्रदान करेगा जो लोग अपने स्वयं के उपकरण लाना चाहते हैं, वे विभाग के कार्यालय में अग्रिम रूप से पंजीकरण के बाद ऐसा कर सकते हैं।
8. हारमोनियम/सारंगी संगत की अनुमति केवल बी.ए. (ऑनर्स) के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए दी जाएगी। संगीत (तालवाद्य संगीत) और बी.ए. (ऑनर्स) संगीत

- (हिंदुस्तानी वोकल) के उम्मीदवारों के लिए नहीं।
9. उम्मीदवारों को निष्पादन-आधारित परीक्षा के दौरान अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 10. ऑफ़लाइन निष्पादन-आधारित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कोई टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।

20.3 बी.एससी. शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेल (बी.एससी. (पीई, एचईएंडएस))

1. बी.एससी. शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेल, (बी.एससी. (पीई, एचई एंड एस)) में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड के अनुसार, सीयूईटी स्कोर को 50% भारिता दी जाएगी और 30% भारिता विभिन्न स्तरों पर खेल उपलब्धि के लिए दी जाएगी, जैसा कि तालिका 20.3.2 से तालिका 20.3.7 में उल्लिखित है और खेल फिटनेस परीक्षा के लिए 20% भारिता है।
2. 50% के खेल प्रवीणता परीक्षा के अंक निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार होंगे:
 - (i) खेल प्रमाणपत्र: 30% भारिता
 - (ii) शारीरिक स्वास्थ्य: 20% भारिता - खेल प्रोफिशिंसी फिटनेस परीक्षा (20.3.8) और फिटनेस परीक्षा मानदंड और चित्रण (तालिका क)।
3. सीएसएस (यूजी)-2024 आवेदन-पत्र के साथ जमा करने के लिए अधिकतम तीन उच्चतम खेल प्रमाणपत्र (एक पीडीएफ फाइल में सभी प्रमाणपत्र) हो सकते हैं। केवल उच्चतम खेल उपलब्धि को खेल प्रवीणता अंक के रूप में सम्मानित किया जाएगा।
4. उम्मीदवार का मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र आवेदन-पत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। (प्रमाणपत्र के प्रारूप के लिए अनुसूची-IV देखें)।
5. खेल प्रमाणपत्र 1 मई 2021 से 30 अप्रैल 2024 के बीच जारी किए जाने चाहिए।
6. तालिका 20.3.1 में उल्लिखित खेलों की सूची, एसजीएफआई, आईओए, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई चैम्पियनशिप और विश्व चैम्पियनशिप के तहत उल्लिखित खेलों की सूची के साथ, केवल खेल प्रमाणपत्र अंक प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा। ओपन डिस्ट्रिक्ट, ओपन स्टेट, ओपन जोनल और ओपन नेशनल के मामले में, केवल आईओए संबद्ध खेलों पर विचार किया जाएगा।

तालिका 20.3.1: खेलों की सूची

टीम के खेल (पुरुष और महिला)	दोहरी और प्रतिरोधक खेल (पुरुष और महिला)	वैयक्तिक खेल (पुरुष और महिला)
बेसबॉल; बास्केटबॉल (3x3 बास्केटबॉल); क्रिकेट; फुटबॉल (सॉसर); हैंडबाल; हॉकी; कबड्डी; खो-खो; नेट बॉल; रग्बी (7s); रोइंग; सॉफ्टबॉल और वॉलीबॉल (इनडोर और बीच वॉलीबॉल),	बैडमिंटन; मुक्केबाज़ी; डोंगी/कश्ती (स्प्रिंट डोंगी/कश्ती, स्लैलम डोंगी/कश्ती); जूडो; कुम्हड़ा; टेबल-टेनिस; तायकोंडो (केवल केसुगी); टेनिस और कुश्ती (ग्रीको-रोमन और फ्रीस्टाइल),	जलीय विज्ञान (तैराकी, गोताखोरी और सिंक्रनाइज़ तैराकी, वाटर पोलो); तीरंदाजी (केवल रिकर्व और यौगिक); एथलेटिक्स (ट्रैक एंड फील्ड); साइकिलिंग- (ट्रैक, रोड, माउंटेन बाइक सहित) शतरंज; अश्वारोही; पटेबाज़ी; गोल्फ़; जिमनास्टिक, आधुनिक पेंटाथलॉन; जलयात्रा; शूटिंग (केवल 10-मीटर पिस्टल और 10-मीटर एयर राइफल), ट्रायथलॉन; तैराकी और भारोत्तोलन, योग, पावर लिफ्टिंग, खेलो इंडिया गेम्स

तालिका 20.3.2: खेल प्रवीणता भारिता (एसपीई-1) अंतर्राष्ट्रीय:

खेल/खेल प्रतियोगिताओं का स्तर	पदक/भागीदारी	30 में से दिए जाने वाले अंक	प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी
ओलंपिक खेलों/विश्व चैम्पियनशिप/विश्व कप/राष्ट्रमंडल खेलों/एशियाई खेलों/एशियाई चैम्पियनशिप/दक्षिण एशियाई खेलों/पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया	स्वर्ण	30	आईओसी/आईएसएफ/सीजीएफ/ओसीए/एसएओसी/आईपीसी/आईओए/एनएसएफ युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमवाईएस), भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और वित्त-पोषित।
	रजत	25	
	कांस्य	23	
	भागीदारी	21	

टिप्पणी: योग की अनुमति केवल खेलो इंडिया स्कूल गेम्स और एसजीएफआई (गेम्स) के लिए है।

तालिका 20.3.3: खेल प्रवीणता भारिता एसपीडब्ल्यू-2:

खेल/खेल प्रतियोगिताओं का स्तर	पदक/भागीदारी	प्रदान किए जाने वाले अंक	प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी
जूनियर नेशनल/ऑल इंडिया इंटरस्टेटल/ऑल इंडिया इंटरजोनल/नेशनल गेम्स/फेडरेशन कप/खेलो इंडिया गेम्स टिप्पणी: केवल सूचीबद्ध खेलों पर विचार किया जाएगा	स्वर्ण	18	संबंधित राष्ट्रीय खेल महासंघ/एसोसिएशन जो खेलो इंडिया गेम्स और क्रिकेट (बीसीसीआई) को छोड़कर आईओए से संबद्ध होना चाहिए।
	रजत	15	
	कांस्य	13	
	भागीदारी	8	

तालिका 20.3.4: खेल प्रवीणता भारिता एसपीडब्ल्यू-3

खेल/खेल प्रतियोगिताओं का स्तर	पदक/भागीदारी	प्रदान किए जाने वाले अंक	प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी
नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया/खेलो इंडिया स्कूल्स गेम्स/खेलो इंडिया यूथ गेम। टिप्पणी: केवल सूचीबद्ध खेलों पर विचार किया जाएगा)	स्वर्ण	14	एसजीएफआई/युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार अधिकृत निकाय।
	रजत	12	
	कांस्य	10	
	भागीदारी	7	

तालिका 20.3.5: खेल प्रवीणता भारिता एसपीडब्ल्यू-4:

खेल/खेल प्रतियोगिताओं का स्तर	पदक/भागीदारी	प्रदान किए जाने वाले अंक	प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी
अंतर-जिला राज्य चैम्पियनशिप/राज्य चैम्पियनशिप/महिला राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/ग्रामीण राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/सीबीएसई राष्ट्रीय/केवीएस राष्ट्रीय/राष्ट्रीय चैम्पियनशिप टिप्पणी: केवल सूचीबद्ध खेलों पर विचार किया जाएगा)	स्वर्ण	6	संबंधित राज्य के खेल/खेल निकाय जो राष्ट्रीय निकाय से संबद्ध होने चाहिए जो आईओए से संबद्ध है
	रजत	5	
	कांस्य	4	

नियमित ओलंपिक खेलों/खेलों पर विचार किया जाएगा।

एसजीएफटी, खेलो-यूथ गेम और संबद्ध फेडरेशन

तालिका 20.3.6 खेल प्रवीणता भारिता एसपीडब्ल्यू-5:

खेल/खेल प्रतियोगिताओं का स्तर	पदक/भागीदारी	प्रदान किए जाने वाले अंक	प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी
-------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------------------

स्कूल स्टेट चैम्पियनशिप/दिल्ली स्कूल इंटर जोनल/डिस्ट्रिक्ट लेवल (ओपन) चैम्पियनशिप/नवोदय नेशनल/पब्लिक स्कूल नेशनल/सीबीएसई रीजनल/स्टेट तुमन रूरल चैम्पियनशिप/नेशनल सैनिक स्कूल चैम्पियनशिप टिप्पणी: केवल सूचीबद्ध खेलों पर विचार किया जाएगा)	स्वर्ण	4	संबंधित आयोजन निकाय।
	रजत	3	
	कांस्य	2	

तालिका 20.3.7: खेल प्रवीणता भारिता एसपीडब्ल्यू-6:

खेल/खेल प्रतियोगिताओं का स्तर	पदक/भागीदारी	प्रदान किए जाने वाले अंक	प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी
दिल्ली स्कूल जोनल/केवीएस रीजनल/सीबीएसई क्लस्टर/ नवोदय रीजनल/डीएवी रीजनल/रीजनल सैनिक चैम्पियनशिप। टिप्पणी: केवल सूचीबद्ध खेलों पर विचार किया जाएगा)	स्वर्ण	3	संबंधित आयोजक निकाय।
	रजत	2	
	कांस्य	1	

तालिका 20.3.8: खेल प्रवीणता फिटनेस टेस्ट

शारीरिक शिक्षा विभाग (अनुबंध- IV) द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप में खेल प्रवीणता परीक्षा के लिए एक फिटनेस परीक्षा और मेडिकल प्रमाणपत्र अनिवार्य है।

संशोधित कनाडाई शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण का उपयोग किया जाएगा। परीक्षण का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

	महिला		पुरुष
(क)	8' लंबी कूद	(क)	5' लंबी कूद
(ख)	वॉल्टिंग हॉर्स जंप ऑफ 5' ऊँचाई	(ख)	वॉल्टिंग हॉर्स जंप ऑफ 4' ऊँचाई
(ग)	7 बार 4'8' नदी की चौड़ाई को पार करना।	(ग)	5 बार 3'6' नदी की चौड़ाई को पार करना।

(घ)	91.4 से.मी. लंबी ऊँचाई की बाधा को पार करना।	(घ)	76.2 से.मी. लंबी ऊँचाई की बाधा को पार करना।
(ङ)	मैट पर फॉरवर्ड रोल (एक)	(ङ)	मैट पर फॉरवर्ड रोल (एक)
(च)	फिनिश लाइन/शुरुआती बिंदु के लिए मैट पर एक फॉरवर्ड रोल के बाद एंड लाइन से दौड़ना।	(च)	फिनिश लाइन/शुरुआती बिंदु पर मैट पर एक फॉरवर्ड रोल के बाद एंड लाइन से दौड़ना।

टिप्पणी:

1. (बी.एससी. (पीई, एचई एंड एस) में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को समय-सीमा के बावजूद बिना किसी बेईमानी के शारीरिक फिटनेस परीक्षा पूरा करना होगा।
2. हालांकि, अंक केवल तालिका ए के अनुसार एक उम्मीदवार को दिए जाएंगे। यदि कोई उम्मीदवार ऐसा समय देखता है जिसका उल्लेख तालिका क (35 सेकंड से अधिक) में नहीं किया गया है, तो ऐसे उम्मीदवार को उसके निष्पादन के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार 20.15 सेकंड या उससे कम समय देखता है, तो 20 अंक दिए जाएंगे।
3. प्रत्येक उम्मीदवार को अधिकतम दो मौके/परीक्षण दिए जाएंगे।
4. यदि कोई उम्मीदवार दोनों अवसरों में परीक्षा अधूरी छोड़ देता है तो उसे आगे की प्रवेश प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

तालिका क

शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा में प्रवेश 2024-25 से लागू


लिया गया समय (सेकंड में)	स्कोर	लिया गया समय (सेकंड में)	स्कोर	लिया गया समय (सेकंड में)	स्कोर
35.15	0.00	29.75	7.20	24.35	14.40
35.00	0.20	29.60	7.40	24.20	14.60
34.85	0.40	29.45	7.60	24.05	14.80
34.70	0.60	29.30	7.80	23.90	15.00
34.55	0.80	29.15	8.00	23.75	15.20
34.40	1.00	29.00	8.20	23.60	15.40
34.25	1.20	28.85	8.40	23.45	15.60
34.10	1.40	28.70	8.60	23.30	15.80
33.95	1.60	28.55	8.80	23.15	16.00
33.80	1.80	28.40	9.00	23.00	16.20
33.65	2.00	28.25	9.20	22.85	16.40
33.50	2.20	28.10	9.40	22.70	16.60
33.35	2.40	27.95	9.60	22.55	16.80
33.20	2.60	27.80	9.80	22.40	17.00
33.05	2.80	27.65	10.00	22.25	17.20
32.90	3.00	27.50	10.20	22.10	17.40
32.75	3.20	27.35	10.40	21.95	17.60
32.60	3.40	27.20	10.60	21.80	17.80
32.45	3.60	27.05	10.80	21.65	18.00
32.30	3.80	26.90	11.00	21.50	18.20
32.15	4.00	26.75	11.20	21.35	18.40
32.00	4.20	26.60	11.40	21.20	18.60
31.85	4.40	26.45	11.60	21.05	18.80
31.70	4.60	26.30	11.80	20.90	19.00
31.55	4.80	26.15	12.00	20.75	19.20
31.40	5.00	26.00	12.20	20.60	19.40
31.25	5.20	25.85	12.40	20.45	19.60
31.10	5.40	25.70	12.60	20.30	19.80
30.95	5.60	25.55	12.80	20.15	20.00

30.80	5.80	25.40	13.00	
30.65	6.00	25.25	13.20	
30.50	6.20	25.10	13.40	
30.35	6.40	24.95	13.60	
30.20	6.60	24.80	13.80	
30.05	6.80	24.65	14.00	
29.90	7.00	24.50	14.20	

एक उम्मीदवार को तालिका क के आधार पर अंक दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि कोई उम्मीदवार 30.65 सेकंड देखता है तो दिए जाने वाले अंक 6.00 होंगे, और इसी तरह। हालांकि, यदि कोई उम्मीदवार 20.15 सेकंड और उससे कम समय लेता है तो उसे 20 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा, यदि कोई उम्मीदवार 20.16 सेकंड और उससे अधिक लेकिन 20.30 सेकंड से कम समय लेता है तो उसे 19.80 अंक दिए जाएंगे।

सभी उम्मीदवारों को बिना किसी फाउल के प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए समय के बावजूद शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण पूरा करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार बिना किसी बेईमानी के परीक्षा पूरी नहीं करता है, तो ऐसे उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

बी.एससी. (पीई, एचई एंड एस) में प्रवेश के लिए शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा का उदाहरण: कोई बदलाव नहीं



उम्मीदवार अंतिम रेखा को पार करने के बाद फिनिश लाइन/प्रारंभिक बिंदु तक दौड़ेगा						
	लंबी छलांग	वाल्टिंग होर्स	नदी पार करना	बाधा	फॉरवर्ड रोल	पूरे बैग से दौड़ना
पुरुष	8'	5'	4'8" (7 बार)	91.4 से.मी.	एक चटाई (एक)	फिनिश लाइन तक तेजी से दौड़
महिला	5'	4'	3'6" (5 बार)	76.2 से.मी.	एक चटाई (एक)	

अध्याय – 21
ललित कला स्नातक (बीएफए) में प्रवेश

कला महाविद्यालय में पेश किए गए ललित कला स्नातक में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को वरीयता-भरने के चरण में अपनी प्राथमिकताओं में से एक के रूप में "बीएफए+कला महाविद्यालय" का चयन करना होगा।

सीएसएस (यूजी) -2024 आवेदन-पत्र भरते समय, एक उम्मीदवार को निम्नलिखित में से **किसी एक** विशेषज्ञता का विकल्प चुनना होगा:

1. अनुप्रयुक्त कला
2. कला इतिहास
3. रंगाई
4. प्रिंट करना
5. मूर्तिकला
6. दृश्य संचार

कृपया ध्यान दें कि एक बार चुनी गई विशेषज्ञता को बदला नहीं जा सकता है।

कला महाविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रैक्टिकल-आधारित परीक्षा, सीएसएस (यूजी) - 2024 भरते समय उम्मीदवार द्वारा चुनी गई विशेषज्ञता पर होगी।

मेरिट सूची के लिए, कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता से प्राप्त सीयूईटी(यूजी)-2024 स्कोर को 50% भारिता दी जाएगी, और प्रैक्टिकल-आधारित परीक्षा से प्राप्त स्कोर को 50% भारिता दी जाएगी।

बीएफए कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आरक्षण नीति और सीट मैट्रिक्स कला महाविद्यालय के निर्धारित नियमों और मानदंडों के अनुसार है।

प्रैक्टिकल-आधारित परीक्षण की अनुसूची, अपडेट और आवंटन और बीएफए में प्रवेश से संबंधित अधिक विवरण के लिए, उम्मीदवारों को नियमित आधार पर कला महाविद्यालय

(<http://colart.delhigovt.nic.in>) की वेबसाइट का उल्लेख करना चाहिए।

अध्याय – 22
ईसीए और खेल (अधिसंख्य कोटा) पर प्रवेश

1. महाविद्यालय की कुल स्वीकृत सीटों का 5% ईसीए और खेल प्रवेश के लिए आवंटित किया जाएगा। महाविद्यालय ईसीए और खेल के लिए 1% से 4% के बीच आवंटन कर सकता है, जो महाविद्यालय के अधिकतम 5% प्रवेश के अधीन है। इसके अलावा, कोटा की निर्धारित सीटों में से 20% से अधिक सीटें एक ही कार्यक्रम के लिए आवंटित नहीं की जाएंगी।

सलाह

उम्मीदवारों को विभिन्न महाविद्यालयों में पेश किए जाने वाले खेल/ईसीए श्रेणी की सूची का उल्लेख करना चाहिए।

उदाहरण: यह मानते हुए कि एक महाविद्यालय की स्वीकृत सीट 1000 है; 50 सीटें महाविद्यालय के ईसीए और खेल अधिसंख्य कोटा के लिए होंगी। अगर महाविद्यालय खेल के लिए 3 फीसदी और ईसीए को 2 फीसदी देने का फैसला करता है तो खेल के लिए 30 सीटें और ईसीए के लिए 20 सीटें निर्धारित की जा सकती हैं। ऐसे मामले में, एक कार्यक्रम में खेल कोटा के लिए 6 से अधिक सीटें आवंटित नहीं की जा सकती हैं; इसी तरह, एक कार्यक्रम में ईसीए कोटे के लिए 4 से अधिक सीटें आवंटित नहीं की जा सकती हैं।

2. महाविद्यालयों को खेल और ईसीए सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए और सभी छात्रों को अंतर-वर्ग प्रतियोगिताओं और जन भागीदारी शुरू करके खेल और पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
3. खेल/ईसीए अतिरिक्त कोटा के तहत आवेदन करने का विकल्प केवल सीएसएस (यूजी)-2024 के चरण I के तहत उपलब्ध है। सीएसएस (यूजी)-2024 आवेदन-शुल्क जमा करने के बाद, उम्मीदवार को खेल/ईसीए अधिसंख्य कोटा के तहत आवेदन करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, यदि पहले इसके तहत पंजीकृत नहीं किया गया हो।
4. उम्मीदवारों को कार्यक्रम(ओं)+महाविद्यालय(यों) संयोजन का चयन करना होगा जिसमें ईसीए/खेल श्रेणी को उनकी वरीयता(ओं) के रूप में पेश किया जा रहा है।
5. ईसीए और खेल अधिसंख्य कोटा के तहत आवंटन वरीयता भरने के दौरान उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक प्राथमिकताओं पर आधारित होंगे। अपग्रेड विकल्प वरीयता भरने में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक प्राथमिकताओं पर भी आधारित होगा।
6. ईसीए और खेल कोटा दोनों के लिए, केवल 1 मई 2021 से 30 अप्रैल 2024 की समयावधि के बीच जारी किए गए प्रमाणपत्रों पर विचार किया जाएगा।

22.1 पाठ्येतर गतिविधियाँ कोटा

शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए ईसीए कोटा के माध्यम से प्रवेश 14 ईसीए श्रेणियों में किया जाएगा। हालांकि, इन श्रेणियों और उप-श्रेणियों में प्रवेश महाविद्यालयों द्वारा पेश किए जाने के अधीन है, जैसा कि ईसीए सीट मैट्रिक्स (admission.uod.ac.in को प्रकाशित) में परिलक्षित होगा:

क्र.सं.	श्रेणी	उप-श्रेणी
1	रचनात्मक लेखन	क. हिंदी ख. अंग्रेज़ी
2	नृत्य	क. भारतीय शास्त्रीय ख. भारतीय लोक ग. पश्चिमी घ. नृत्य निर्देशन
3	वाद-विवाद	क. हिंदी ख. अंग्रेज़ी
4	डिजिटल मीडिया	क. फोटोग्राफी ख. फिल्म निर्माण ग. एनिमेशन
5	ललित कलाएँ	क. स्केचिंग और पेंटिंग ख. मूर्तिकला
6	संगीत (मुखर)	क. भारतीय (शास्त्रीय और प्रकाश) ख. पश्चिमी (शास्त्रीय और प्रकाश)
7	संगीत (वाद्य: भारतीय)	क. तबला ख. मृदंग ग. ढोलक घ. पखावज ङ. घटम च. हारमोनियम छ. मुरली ज. सितार झ. वायलिन ञ. सरोद ट. संतूर
8	संगीत (वाद्य : पश्चिमी)	क. ड्रम ख. पश्चिमी बांसुरी ग. सैक्सोफ़ोन घ. गिटार (लीड) ङ. गिटार (बास) च. वायलिन छ. कुंजीपटल
9	नाटक	--
10	क्विज	--

11	देवत्व (केवल सिख अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के लिए लागू)	--
12	एनसीसी	--
13	एनएसएस	--
14	योग	--

- उम्मीदवार अधिकतम तीन ईसीए श्रेणियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, प्रवेश केवल एक श्रेणी में दिया जाएगा।
- प्रत्येक ईसीए श्रेणी के लिए जिसमें उम्मीदवार आवेदन कर रहा है, उसे 1 मई 2021-30 अप्रैल 2024 की समय अवधि के बीच जारी किए गए पिछले तीन वर्षों के अधिकतम सर्वश्रेष्ठ पांच (05) प्रमाणपत्र अपलोड करने होंगे।
- आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को महाविद्यालय-वार ईसीए सीट मैट्रिक्स और विभिन्न महाविद्यालयों में ईसीए श्रेणियों/उप-श्रेणियों की उपलब्धता (admission.uod.ac.in को प्रकाशित) का उल्लेख करने की सलाह दी जाती है।
- सभी महाविद्यालयों के लिए ईसीए अधिसंख्य कोटा का आवंटन विश्वविद्यालय की केंद्रीय ईसीए प्रवेश समिति के माध्यम से किया जाता है।
- ईसीए अधिसंख्य कोटा के तहत प्रवेश के लिए, एक उम्मीदवार के संयुक्त ईसीए मेरिट (सीईएम) स्कोर पर विचार किया जाएगा। एक उम्मीदवार का सीईएम स्कोर उन सभी कार्यक्रमों के उच्चतम कार्यक्रम-विशिष्ट सीयूईटी (यूजी)-2024 प्रतिशत स्कोर के 25% का योग होगा जिसमें उसने आवेदन किया है और ईसीए श्रेणियों से प्राप्त उच्चतम ईसीए स्कोर का 75% जिसके लिए उम्मीदवार पर विचार किया जा रहा है।
- ईसीए स्कोर के लिए अधिकतम अंक 75 होंगे, जिसमें भौतिक परीक्षणों में निष्पादन और/या अपलोड किए गए प्रमाणपत्र, जैसा लागू हो, शामिल हैं।
- ईसीए स्कोर 75 अंकों के लिए, सभी श्रेणियों (एनसीसी और एनएसएस को छोड़कर) के लिए, 60 अंक शारीरिक परीक्षण के आधार पर दिए जाएंगे और 15 अंक प्रस्तुत प्रमाणपत्र के आधार पर दिए जाएंगे।
- शारीरिक परीक्षणों में निष्पादन के लिए अंकों के पुरस्कार में, न्यायाधीशों का विवेक अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- ईसीए अधिसंख्य कोटे के माध्यम से प्रवेश पाने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को प्रवेश के समय अनिवार्य रूप से एक वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कहा गया हो कि अपने स्नातक अध्ययन की पूरी अवधि के दौरान वे उस ईसीए श्रेणी के तहत महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के लिए गतिविधियों में भाग लेंगे जिसके लिए उन्हें महाविद्यालय में प्रवेश दिया गया है। **अर्थात्, ईसीए कोटे के तहत प्रवेश लेने वाला छात्र जब चाहे महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की ईसीए गतिविधियों में भाग लेने से इनकार नहीं कर सकता है, ऐसा न करने पर विश्वविद्यालय और/या महाविद्यालय को अध्ययन के पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान किसी भी समय प्रवेश रद्द करने का अधिकार है।**
- महाविद्यालय-वार ईसीए सीट मैट्रिक्स, भौतिक परीक्षणों का विवरण और कार्यक्रम (जहां लागू हो), और ईसीए प्रवेश 2024-25 के लिए अन्य अतिरिक्त जानकारी दिल्ली विश्वविद्यालय प्रवेश वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएगी। उम्मीदवारों को ईसीए कोटा के तहत प्रवेश संबंधी सभी जानकारी के लिए नियमित रूप से वेबसाइट की जांच करते रहना चाहिए।

11. जहां भी लागू हो, परीक्षण केवल ऑफ़लाइन मोड में आयोजित किए जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षणों के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को शेड्यूल और परीक्षण से संबंधित अन्य विवरणों के लिए नियमित रूप से प्रवेश वेबसाइट (admission.uod.ac.in) की जांच करते रहना चाहिए।

22.1.1 प्रमाणपत्र अंकन योजना

1. उम्मीदवारों को सीएसएस (यूजी)-2024 आवेदन-पत्र भरने के समय प्रासंगिक ईसीए प्रमाणपत्र अपलोड करना आवश्यक है। अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों को ऑफ़लाइन परीक्षणों (जहां भी लागू हो) के लिए भी लाना होगा। एक बार अपलोड किए जाने के अलावा किसी अन्य/नए प्रमाणपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. अपलोड किए गए पांच प्रमाणपत्रों में से, उम्मीदवार को एनसीसी और एनएसएस को छोड़कर केवल सर्वश्रेष्ठ तीन प्रमाणपत्रों के आधार पर चिह्नित किया जाएगा, जहां प्रमाणपत्र अंकन मानदंड के अनुसार सभी पांच अपलोड्स पर विचार किया जाएगा।
3. जब भौतिक परीक्षणों के लिए बुलाया जाता है, जहां भी लागू हो, उम्मीदवारों को सीयूईटी स्कोर कार्ड के साथ मूल रूप से सभी ईएसए प्रमाणपत्र लाने होंगे। उम्मीदवारों को फिजिकल परीक्षण के समय मूल्यांकन टीम की उपस्थिति में प्रमाणपत्र अंकन के आधार पर दिए जा रहे अंकों पर प्रति-हस्ताक्षर करना होगा।
4. चूंकि प्रमाणपत्र एनसीसी और एनएसएस श्रेणियों को छोड़कर उम्मीदवार की उपस्थिति में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार चिह्नित किए जाएंगे, इसलिए प्रमाणपत्र के अंकन के कारण बाद में कोई शिकायत नहीं की जाएगी।
5. एनसीसी और एनएसएस श्रेणियों के लिए अपलोड किए गए ईसीए प्रमाणपत्रों के अंक प्रदान करने से संबंधित शिकायतों का निवारण विश्वविद्यालय की ईसीए शिकायत निवारण समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
6. मानदंड घ, 'सार्वजनिक निष्पादन' को छोड़कर लेटर हेड पर अदिनांकित प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र किसी भी परिस्थिति में अंकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
7. केवल ईसीए श्रेणी/उप-श्रेणी से संबंधित प्रमाणपत्रों पर विचार किया जाएगा जिसके लिए उम्मीदवार ने आवेदन किया है।
8. प्रमाणपत्र को चिह्नित करते समय, किसी भी प्रमाणपत्र पर एक से अधिक बार विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात्, उम्मीदवार केवल एक बार किसी घटना के लिए अंक का दावा कर सकता है।
9. एनसीसी और एनएसएस की ईसीए श्रेणियों को छोड़कर, प्रारंभिक राउंड के लिए प्रमाणपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा (कम स्कोर वाले), यदि प्रतिभागी अंतिम दौर के प्रमाणपत्र के लिए चयन कर रहा है, अर्थात्, किसी भी स्थिति के उच्चतम स्कोरिंग प्रमाणपत्र पर विचार किया जाएगा, यदि कई राउंड के माध्यम से पारित किया गया हो।
10. प्रमाणपत्रों को स्पष्ट रूप से गतिविधि के स्तर और अवधि (जैसा लागू हो) के साथ-साथ यह एक समूह या एकल गतिविधि थी, निर्दिष्ट करना चाहिए। स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट विवरण के अभाव में, निम्नतम स्तर और अवधि (जैसा लागू हो) पर विचार किया जाएगा और इसे समूह गतिविधि के रूप में लिया जाएगा।

11. 2021 के कोविड महामारी वर्ष के दौरान प्रचलित विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सभी श्रेणियों और मानदंडों की ऑनलाइन गतिविधियों के प्रमाणपत्र केवल उसी वर्ष के लिए विचार किए जाएंगे।
12. ईसीए कोटे के तहत सभी भर्ती उम्मीदवारों के प्रमाणपत्रों की फोरेंसिक जांच की जाएगी। ईसीए अधिसंख्य कोटे के आधार पर प्रवेश पाने के लिए झूठे/फर्जी प्रमाणपत्र जमा करने वाले उम्मीदवार को तीन वर्ष के लिए किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में प्रवेश रद्द कर दिए जाएंगे और सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

प्रमाणपत्र चिह्नित करने के लिए मानदंड (एनसीसी, एनएसएस को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए)

प्रमाणपत्रों के अंकन को चार मानदंडों में विभाजित किया गया है:

मापदंड	विवरण
क	प्रतियोगिताओं में भागीदारी/पुरस्कार
ख	प्रशिक्षण/परीक्षाएं
ग	कार्यशालाएं
घ	निष्पादन/प्रकाशित कार्य/प्रदर्शनी (सार्वजनिक)

एक उम्मीदवार नीचे दिए गए विवरण के साथ दिए गए चार मानदंडों में से किसी से भी प्रमाणपत्र मूल्यांकन के माध्यम से अधिकतम 15 अंक प्राप्त कर सकता है।

मानदंड क: प्रतियोगिताओं में भागीदारी/पुरस्कार:

क्र.सं.	स्तर	अंक			
		प्रथम पुरस्कार	द्वितीय पुरस्कार	तृतीय पुरस्कार	भागीदारी
1.	अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय	7	6	5	4
2.	राज्य	4	3	2	1
3.	जोनल/इंटर स्कूल	3	2	1	0
4.	इंटर-स्कूल	2	1	0	0

उपर्युक्त अंक एकल निष्पादन के लिए प्रदान किए जाएंगे। एक समूह गतिविधि (रंगमंच को छोड़कर) के लिए, प्रत्येक समूह गतिविधि के लिए उपर्युक्त अंकों में से 1 अंक काटा जाएगा।

इस मानदंड में 'अंतर्राष्ट्रीय स्तर' पर विचार किया जा सकता है यदि उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित स्तर पर भाग लिया है, जिसके लिए उसे या तो पूर्व राष्ट्रीय चयन प्रक्रिया के माध्यम से जांच की गई है या चयन प्रक्रिया के माध्यम से किसी प्रतिष्ठित एजेंसी द्वारा प्रायोजित किया गया है।

स्कूलों द्वारा आयोजित इंटर-स्कूल कार्यक्रम (यहां तक कि वैश्विक/अंतर्राष्ट्रीय/समान नामकरण के किसी अन्य पाठ्यक्रम का अनुसरण करने वाले) जिनकी अन्य राज्यों या देशों के स्कूलों से भागीदारी है, उन्हें अंतर-स्कूल स्तर पर माना जाएगा न कि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।

भारत में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को तब तक वैध माना जाएगा जब तक कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय घटना के घोषित मानदंडों को पूरा करता है।

एमयूएन प्रमाणपत्र, ('वाद-विवाद' श्रेणी के तहत मूल्यांकन किया जाना है), प्रमाणपत्र अंक के पुरस्कार के लिए निम्नलिखित मानचित्रण पर विचार किया जाएगा:

- सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि-प्रथम स्थान
- रनर अप-द्वितीय स्थान
- विशेष उल्लेख/प्रशस्ति (कोई अन्य समान नाम) --तीसरा स्थान
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किसी भी एमयूएन समिति में किसी भी 'देश' का प्रतिनिधित्व करना-भागीदारी
- सर्वश्रेष्ठ स्कूल-प्रथम स्थान, लेकिन एक समूह गतिविधि के रूप में माना जाना चाहिए

मानदंड ख: प्रशिक्षण/परीक्षा

क्र.सं.	स्तर	अंक			
		1 वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	>3 वर्ष
1.	गुरु/उस्ताद/संस्थान के तहत प्रशिक्षण	1	2	3	4
2.	पासिंग प्रमाणपत्र के साथ परीक्षाएं	1	2	3	4

यदि किसी उम्मीदवार ने कई संबंधित गतिविधियों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है (उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र ने हिंदुस्तानी गायन के साथ-साथ कर्नाटक गायन में प्रशिक्षण प्राप्त किया है), तो प्रत्येक प्रशिक्षण गतिविधि के लिए एक ही अंकन योजना अपनाई जाएगी और अंक जोड़े जाएंगे।

प्रमाणपत्र चिह्नित करने के लिए, परीक्षा की उस विशेष प्रणाली में उम्मीदवार द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा के उच्चतम स्तर पर विचार किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र के पास गंधर्व से 1 वर्ष के साथ-साथ 2 वर्ष का प्रमाणपत्र है, तो केवल द्वितीय वर्ष के परीक्षा प्रमाणपत्र पर विचार किया जाएगा।

यदि उम्मीदवार ने परीक्षा उत्तीर्ण की है और किसी निश्चित संख्या में वर्षों के लिए उसी गतिविधि के लिए प्रशिक्षण भी लिया है, तो दोनों में से केवल एक, जिसमें छात्र ने उच्च अंक प्राप्त किए हैं, पर विचार किया जाएगा।

सीसीआरटी छात्रवृत्ति प्रमाणपत्र/पुरस्कार पर इस मानदंड (परीक्षा अनुभाग) के तहत अंकों के लिए

विचार किया जा सकता है। हालांकि, सीसीआरटी छात्रवृत्ति सीसीआरटी द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रपत्र में होनी चाहिए।

मानदंड ग: कार्यशालाएं

क्र.सं.	कार्यशाला की अवधि	अंक
1.	1 सप्ताह से कम	0
2.	1 सप्ताह	1
3.	1 सप्ताह से अधिक	2

मानदंड घ: सार्वजनिक निष्पादन/प्रकाशित कार्य/प्रदर्शनी (सार्वजनिक) :

क्र.सं.	निष्पादन की प्रकृति	अंक
1.	समूह गतिविधि	1
2.	एकल गतिविधि	2

निम्नलिखित को सार्वजनिक निष्पादन माना जाता है:

(i) संगीत (गायन/वाद्य), नृत्य, रंगमंच:

- क. सार्वजनिक निष्पादन का अर्थ है किसी समूह/संगठन के माध्यम से निष्पादन जिसे आम जनता व्यापक रूप से देख सके।
- ख. यूट्यूब अपलोड, फेसबुक/इंस्टाग्राम रील, ब्लॉग, और अन्य गैर-सहकर्मी-समीक्षित वीडियो स्ट्रीमिंग साइटों पर इसी तरह के अन्य अपलोड को अंकन के लिए नहीं माना जाएगा।
- ग. जिगसिन रेस्तरां या अन्य निजी प्लेटफॉर्म, जिसमें सहकर्मी-समीक्षा तंत्र शामिल नहीं हैं, पर अंकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) ललित कला-प्रदर्शनी

(iii) मीडिया:

- क. फिल्म मेकिंग-फिल्म क्रेडिट में स्वीकार्य
- ख. एनीमेशन-फिल्म क्रेडिट में स्वीकार्य
- ग. फोटोग्राफी-प्रदर्शनी

घ. यूट्यूब अपलोड, फेसबुक/इंस्टाग्राम रील, व्लॉग, और गैर-सहकर्मी-समीक्षित वीडियो स्ट्रीमिंग साइटों पर अन्य समान अपलोड को अंकन के लिए नहीं माना जाएगा।

- (iv) रचनात्मक लेखन-किसी भी भाषा में कविताओं/लघुकथाओं/उपन्यास/नाटक आदि के संग्रह के रूप में प्रकाशित कार्य (पब्लिक प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया (समाचार-पत्र लेख सहित) पर विचार किया जाएगा।
- (v) योग: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भागीदारी और निजी योग प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित करने पर इस मानदंड या किसी अन्य मानदंड के तहत अंकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- (vi) दिव्यता: गुरबानी में भाषण प्रतियोगिता, आदि ग्रंथ और दशम ग्रंथ से शब्द गुरबानी, गुरु ग्रंथ साहिब और दशम ग्रंथ से पाठ और गुरुद्वारों में गायन के साथ धार्मिक/ऐतिहासिक कहानी सुनाने आदि से संबंधित प्रमाणपत्र इस मानदंड के तहत अंकन के लिए विचार किए जा सकते हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से प्राप्त प्रमाणपत्र/पत्र जिसमें इसे विनिर्दिष्ट किया गया हो, को इस ईसीए श्रेणी के लिए दस्तावेजी साक्ष्य माना जा सकता है।
- (vii) वाद-विवाद: एमयून में भागीदारी को मानदंड घ के तहत सार्वजनिक निष्पादन के रूप में नहीं माना जाएगा; हालांकि, इसे मानदंड क के तहत चिह्नित किया जाएगा। लेकिन, यदि उम्मीदवार को एक वैध संयुक्त राष्ट्र निकाय के लिए प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, तो उसे मानदंड घ के तहत माना जाएगा।
- (viii) प्रश्नोत्तरी: केवल उन प्रश्नोत्तरी शो में भागीदारी जो कुछ टेलीविजन चैनल पर प्रसारित की जाती हैं, उन्हें सार्वजनिक निष्पादन माना जाएगा। किसी अन्य ऑनलाइन/ऑफलाइन क्विज में भागीदारी/जीतने पर मानदंड क में विचार किया जाएगा और इसे इंटर-स्कूल इवेंट के रूप में चिह्नित किया जाएगा। प्रबंधन, विपणन, अन्य लोगों सहित पाठ्यचर्या विषयों के लिए ओलंपियाड प्रमाणपत्रों को प्रश्नोत्तरी श्रेणी के तहत नहीं गिना जाएगा। सामान्य ज्ञान/सामान्य जागरूकता ओलंपियाड को क्विज श्रेणी के प्रमाणपत्र के तहत गिना जाएगा।

आयोजक संस्था से ब्रोशर और/या फ्लायर/समाचार-पत्र की सूचनाएं/विधिवत हस्ताक्षरित और मुद्रांकित लेटर हेड पर पत्र/समाचार-पत्र, समाचार-पत्र, आदि की कतरनें सार्वजनिक निष्पादन के लिए दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मानी जा सकती हैं

22.1.2 एनसीसी श्रेणी के लिए प्रमाणपत्र अंकन योजना

1. एनसीसी में, 75 अंकों का ईसीए स्कोर सभी पांच अपलोड किए गए एनसीसी प्रमाणपत्रों पर आधारित होगा।
2. एनसीसी यूनिट के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मुहर और हस्ताक्षर के बिना अदिनांकित प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. 'क' और 'ख' प्रमाणपत्र परीक्षा देने वाले अनंतिम प्रमाणपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। अर्थात् अगर उक्त परीक्षा में परिणाम प्रमाणपत्र पर उल्लेखित नहीं है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. स्कूल या एएनओ द्वारा प्रदान की गई 'क' और 'ख' प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए अनंतिम प्रमाणपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. यदि किसी उम्मीदवार ने एक ही गतिविधि में भाग लिया है, तो न्यूनतम अंक दिए जाएंगे। दो या दो से अधिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए, अधिकतम अंक दिए जाने हैं (भले ही गतिविधियों की संख्या दो या अधिक हो)।

प्रमाणपत्र निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार चिह्नित किए जाएंगे:

मानदंड	विवरण	न्यूनतम अंक	अधिकतम अंक
क	नियमित गतिविधि (सर्वश्रेष्ठ कैडेट/स्वतंत्रता दिवस/आत्मरक्षा/आईडीवाई/सामाजिक जागरूकता, सामुदायिक विकास और प्राकृतिक आपदा में प्रशंसा प्रमाणपत्र/कोविड-19/कोई अन्य)	3	6
ख	निम्नलिखित योजना के अनुसार प्रमाणपत्र क/ख एडीजी कॉम/डीजी कॉम: प्रमाणपत्र क, ग्रेड ग प्रमाणपत्र क, ग्रेड ख प्रमाणपत्र क, ग्रेड क प्रमाणपत्र ख, ग्रेड ग प्रमाणपत्र ख, ग्रेड ख प्रमाणपत्र ख, ग्रेड क	-	15 16 17 18 19 20
ग	शिविर (शूटिंग कैंप/एडवेंचर कैंप/सीएम रैली/पीएम रैली/एटीसी/सीएटीसी/ईबीएसबी/ट्रेकिंग/बीएलसी/एएलसी/आरसीटीसी/प्री-आरडी/प्री-टीएससी/प्री-वीएससी/एसएनआईसी/कोविड-19)	20	26
घ	विशेष शिविर (टीएससी/वीएससी/एनएससी)	12	12
ङ	गणतंत्र दिवस में भागीदारी	18	18

22.1.3 : एनएसएस श्रेणी के लिए प्रमाणपत्र अंकन योजना

1. एनएसएस के लिए, 75 अंकों का ईसीए स्कोर सभी पांच अपलोड किए गए प्रमाणपत्रों के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
2. केवल एनएसएस निदेशालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा जारी प्रमाणपत्रों पर विचार किया जाएगा।
3. एनएसएस यूनिट के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के स्टाम्प और हस्ताक्षर के बिना अदिनांकित प्रमाणपत्र और प्रमाणपत्र अंकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
4. प्रमाणपत्र में भाग लेने वाली गतिविधि में एनएसएस स्वयंसेवक के रूप में उम्मीदवार का उल्लेख होना चाहिए।
5. कार्य डायरी एनएसएस निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में होनी चाहिए और इसमें कार्यक्रम अधिकारी और स्कूल प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर और मुहर होनी चाहिए।
6. यदि किसी प्रमाणपत्र में कई मानदंडों के तहत भागीदारी का उल्लेख है, तो उल्लिखित मानदंड के लिए अंक तदनुसार दिए जाएंगे।
6. यदि किसी उम्मीदवार ने एक ही गतिविधि में भाग लिया है, तो न्यूनतम अंक दिए जाएंगे। दो या दो से अधिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए, अधिकतम अंक दिए जाने हैं (भले ही गतिविधियों की संख्या दो या अधिक हो और/या एक ही प्रमाणपत्र पर उल्लेख किया गया हो)।

प्रमाणपत्र निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार चिह्नित किए जाएंगे:

मानदंड	विवरण	न्यूनतम अंक	अधिकतम अंक
क	नियमित गतिविधि, मुख्य दिवस भागीदारी (स्वच्छता/वृक्षारोपण/श्रम दान/सड़क सुरक्षा/मतदाता जागरूकता/महिला सुरक्षा/लिंग संवेदीकरण/रक्तदान/कोविड-19/इसी तरह की कोई भी सामाजिक जागरूकता गतिविधि)	5	8
ख	नियमित सामाजिक गतिविधियों के लिए काम के घंटे	120 घंटे के लिए 15	240 घंटों के लिए 24
ग	राष्ट्रीय शिविर-एसबीएसआई/आरडी/एनएसएसआईजी पुरस्कार/एनवाईएफ/एनआईसी	18	24
घ	कार्य-डायरी के साथ विशेष शिविर/कार्य डायरी/विशेष शिविर	15	21
ङ	आरडी पूर्व शिविर/राज्य शिविर/सरकार द्वारा एक माह से अधिक अवधि के कोविड-19 गतिविधि शिविर का आयोजन	12	12

22.1.4 : सीट आवंटन

ईसीए में सीट आवंटन के उद्देश्य से, उम्मीदवार के संयुक्त ईसीए मेरिट (सीईएम) पर विचार किया जाएगा। एक उम्मीदवार का सीईएम का योग होगा:

- क. उन सभी कार्यक्रमों के उच्चतम कार्यक्रम-विशिष्ट सीयूईटी प्रतिशत स्कोर का 25% जिसमें उसने आवेदन किया है, और

ख. उन सभी ईसीए श्रेणियों से प्राप्त उच्चतम ईसीए स्कोर का 75% जिनमें उन पर विचार किया गया है।

इसके अलावा उम्मीदवार को किसी विशेष ईसीए श्रेणी में विचार के लिए 75 में से कम से कम 30 अंक हासिल करने चाहिए।

आवंटन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा:

1. उम्मीदवारों की सीईएम रैंकिंग, ईसीए स्कोर में कम से कम 30 अंकों के स्कोर के अधधीन।
2. वरीयता-भरने के चरण के दौरान उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम+महाविद्यालय संयोजनों की प्राथमिकताएं।
3. एक महाविद्यालय में विशिष्ट ईसीए श्रेणी में सीटों की उपलब्धता।

जिन उम्मीदवारों को ईसीए के किसी भी दौर में सीट आवंटित की गई थी, उन्हें बाद के अपप्रेडेशन के लिए विचार की जाने वाली सीट को स्वीकार करना होगा।

22.1.5 : टाई निर्णय के नियम

एनसीसी और एनएसएस श्रेणियों को छोड़कर टाई के मामले में, जहां दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के पास एक ही सीईएम है, टाई निर्णय के लिए निम्नलिखित नियम घोषित क्रम में लागू होंगे:

- नियम 1. उप-श्रेणी के शारीरिक परीक्षण में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।
- नियम 2. सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपत्र में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।
- नियम 3. दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपत्र में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।
- नियम 4. तीसरे सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपत्र में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।
- नियम 5. चौथे सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपत्र में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।
- नियम 6. पांचवें सर्वश्रेष्ठ प्रमाणपत्र में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।
- नियम 7. दसवीं कक्षा के प्रमाणपत्र में उल्लिखित जन्म तिथि वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।

यदि टाई बनी रहती है, तो ऐसे सभी उम्मीदवारों पर विचार किया जा सकता है। एनसीसी और एनएसएस श्रेणियों के लिए, टाई निर्णय नियम, नियम 2 से लागू होंगे जैसा कि ऊपर कहा गया है।

22.2 : खेल अधिसंख्य कोटा

खेल अधिसंख्य कोटा के आधार पर प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार को सीएसएस (यूजी)-2024 आवेदन-पत्र पर ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है।

उम्मीदवार अधिकतम तीन खेलों के लिए आवेदन कर सकता है। प्रवेश निम्नलिखित पर आधारित होगा:

- क) **खेल परीक्षण के बिना प्रवेश:** इन्हें श्रेणी क उम्मीदवार कहा जाता है (श्रेणी क के लिए पात्रता का विवरण उप-धारा 22.2.1 में बताया गया है)। श्रेणी क के उम्मीदवारों के प्रवेश का मानदंड पूरी तरह से सीएसएस (यूजी)-2024 आवेदन-पत्र में उम्मीदवार द्वारा अपलोड किए गए मेरिट/सहभागिता प्रमाणपत्र की जांच पर आधारित होगा। उम्मीदवार को एनटीए द्वारा आयोजित सीयूईटी (यूजी)-2024 में उपस्थित होना चाहिए।
- ख) **खेल परीक्षण के आधार पर प्रवेश:** इन्हें श्रेणी ख, ग और घ उम्मीदवार कहा जाता है (श्रेणी ख, ग और घ के लिए पात्रता का विवरण उप-धारा 22.2.2 में उल्लिखित है)। श्रेणी ख, ग और घ उम्मीदवारों के प्रवेश के लिए मानदंड संयुक्त खेल मेरिट (सीएसएम) पर आधारित होंगे, जिसमें सभी कार्यक्रमों के उच्चतम कार्यक्रम-विशिष्ट सीयूईटी प्रतिशत स्कोर का 25% शामिल है, जिसमें उम्मीदवार ने आवेदन किया है, अपलोड किए गए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र के मूल्यांकन में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त उच्चतम अंकों का 25%, और दिए गए खेल परीक्षणों में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त उच्चतम स्कोर का 50%।

22.2.1 श्रेणी क: खेल परीक्षण के बिना प्रवेश

जिन उम्मीदवारों ने युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमवाईएस) द्वारा मान्यता प्राप्त और वित्त-पोषित नीचे उल्लिखित प्रतियोगिता (ओं) में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, उन्हें उप-धारा 22.2.2 बी में उल्लिखित खेल के लिए खेल परीक्षण के बिना प्रवेश दिया जाएगा, जिसमें महाविद्यालयों द्वारा खेल/खेल की आवश्यकता दी गई है।

- क) अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) द्वारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल
- ख) अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघों (आईएसएफ) द्वारा विश्व चैम्पियनशिप
- ग) राष्ट्रमंडल खेल संघ (सीजीएफ) द्वारा राष्ट्रमंडल खेल 46
- घ) एशियाई ओलंपिक परिषद (ओसीए) द्वारा एशियाई खेल
- ङ) अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों (आईएसएफ) द्वारा एशियाई सीनियर चैम्पियनशिप
- च) दक्षिण एशिया ओलंपिक परिषद (एसएओसी) द्वारा दक्षिण एशियाई खेल (एसएजी)
- छ) अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति (आईपीसी) द्वारा पैरालंपिक खेल

श्रेणी क के लिए खेल अधिसंख्य कोटा के आधार पर प्रवेश पूरी तरह से अपलोड की गई मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र की जांच और सीएसएस (यूजी)-2024 आवेदन-पत्र में उम्मीदवारों द्वारा चुने गए कार्यक्रम+महाविद्यालय संयोजनों की प्राथमिकताओं के क्रम पर आधारित होगा। आवंटन सामान्य न्यूनतम पात्रता, कार्यक्रम-विशिष्ट पात्रता, कार्यक्रम+महाविद्यालय संयोजन की वरीयताओं के क्रम को पूरा करने के आधार पर किया जाएगा और उम्मीदवार द्वारा चुने गए महाविद्यालय में खेल/खेल में सीट की उपलब्धता के अधीन होगा।

22.2.2 श्रेणियाँ ख, ग और घ: खेल परीक्षण के आधार पर प्रवेश

श्रेणी ख, ग, और घ के उम्मीदवारों के लिए, उप-धारा 22.2.2 ख में उल्लिखित खेल/खेल के लिए सीएसएस (यूजी)-2024 आवेदन-पत्र में अपलोड किए गए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्रों पर भारिता दी जाएगी, जिसमें महाविद्यालयों द्वारा खेल की आवश्यकता दी गई है।

क. अपलोड की गई मेरिट/सहभागिता खेल प्रमाणपत्र का अंकन (अधिकतम 200 अंक):
सीएसएम में 25% भारिता

1. धारा 22.2.3 में अपलोड की गई मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र को चिह्नित करने के लिए मानदंड शामिल हैं और खेल/खेल प्रतियोगिताओं के विभिन्न स्तरों के लिए अंक प्रदर्शित करता है।
2. आमंत्रण/स्मारक/ओपन/पुरस्कार राशि लीग/चयन परीक्षण/टीम/रैंकिंग प्रतियोगिताओं के खेल प्रमाणपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। खेल प्रतियोगिताओं में मेरिट/सहभागिता के पत्र/लैटरहेड पर भी विचार नहीं किया जाएगा।
3. उम्मीदवार अधिकतम तीन मेरिट/सहभागिता खेल प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित कॉपी अपलोड कर सकते हैं।
4. अपलोड किए गए मेरिट/सहभागिता खेल प्रमाणपत्र का मूल्यांकन अपलोड किए गए मेरिट/सहभागिता खेल प्रमाणपत्र के अंकन के मानदंड के अनुसार किया जाएगा। हालांकि, अपलोड किए गए मेरिट/सहभागिता खेल प्रमाणपत्र के मूल्यांकन में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त उच्चतम अंकों को संयुक्त खेल मेरिट (सीएसएम) की तैयारी के लिए माना जाएगा।
5. पिछले तीन (03) वर्षों के खेल प्रमाणपत्र पर 01 मई 2021 से 30 अप्रैल 2024 तक विचार किया जाएगा।
6. अपलोड किए गए मेरिट/सहभागिता खेल प्रमाणपत्र में अपूर्ण/कटिंग/ओवरराइटिंग को किसी भी परिस्थिति में अंकन के लिए नहीं माना जाएगा।
7. उम्मीदवार की योग्यता का स्तर केवल उन लोगों के लिए निर्धारित किया जाएगा जिन्होंने उप-धारा 22.2.2 ख में उल्लिखित खेल में पिछले तीन (03) वर्षों के दौरान गौरव हासिल किया है।
8. सीएसएम में विचार के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार को अपलोड किए गए मेरिट/सहभागिता खेल प्रमाणपत्र के मूल्यांकन में न्यूनतम 20 अंक प्राप्त करने होंगे।

ख. खेल परीक्षण (अधिकतम 400 अंक): सीएसएम में 75% भारिता

खेल अधिसंख्य कोटा के आधार पर प्रवेश के लिए विचार किए जाने वाले खेल
टीम के खेल:

बेसबॉल (पुरुष), बास्केटबॉल (पुरुष और महिला), क्रिकेट (पुरुष और महिला),
फुटबॉल (पुरुष और महिला), हैंडबॉल (पुरुष और महिला), हॉकी (पुरुष और महिला),
कबड्डी (पुरुष और महिला), खो-खो (पुरुष और महिला), नेटबॉल (महिला), सॉफ्टबॉल
(महिला) और वॉलीबॉल (पुरुष और महिला)

टीम खेलों के लिए अंकन मानदंड: कुल 400 अंक 47

मौलिक कौशल: 200 अंक
परीक्षण में निष्पादन: 200 अंक

दोहरे और प्रतिकार खेल:

बैडमिंटन (पुरुष और महिला), मुक्केबाजी (पुरुष और महिला), तलवारबाजी (पुरुष और महिला), जूडो (पुरुष और महिला), स्कैश (पुरुष और महिला), टेबल टेनिस (पुरुष और महिला), ताइकांडो (क्योरुगी) (पुरुष और महिला), टेनिस (पुरुष और महिला) और कुश्ती (पुरुष और महिला)

दोहरे और लड़ाकू खेलों के लिए अंकन मानदंड: कुल (400 अंक)
परीक्षण में निष्पादन: कुल (400 अंक)

वैयक्तिक खेल:

तीरंदाजी (पुरुष और महिला), एथलेटिक्स (पुरुष और महिला), शतरंज (पुरुष और महिला), डाइविंग (पुरुष और महिला), जिमनास्टिक (पुरुष और महिला), शूटिंग (पुरुष और महिला), तैराकी (पुरुष और महिला) और भारोत्तोलन (पुरुष और महिला)।

वैयक्तिक खेलों के लिए अंकन मानदंड: कुल (400 अंक)
परीक्षण में निष्पादन: कुल (400 अंक)।

1. उम्मीदवार को केवल एक इवेंट/भारिता श्रेणी में खेल परीक्षण देने की अनुमति दी जाएगी।
2. उम्मीदवार को संयुक्त खेल मेरिट (सीएसएम) में विचार के लिए पात्र होने के लिए दिए गए खेल परीक्षण में न्यूनतम 200 अंक प्राप्त करने होंगे।
3. खेल परीक्षण आयोजित करने के लिए पहचाने गए महाविद्यालय को खेल परीक्षण की वीडियोग्राफी करनी चाहिए और रिकॉर्डिंग को संरक्षित करना चाहिए।
4. विशिष्ट खेल/खेल के लिए खेल अधिसंख्य कोटा के आधार पर प्रवेश के लिए खेल परीक्षण विश्वविद्यालय की खेल प्रवेश समिति द्वारा आयोजित किया जाएगा। खेल प्रवेश समिति इस प्रकार होगी:
 - क) अध्यक्ष: महाविद्यालय के शासी निकाय पर विश्वविद्यालय प्रतिनिधि
 - ख) सह-अध्यक्ष: प्रधानाचार्य
 - ग) संयोजक: शारीरिक शिक्षा शिक्षक, शारीरिक शिक्षा विभाग
 - घ) विशेषज्ञ: विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाना है
 - ड) (खेल के क्षेत्र से प्रख्यात व्यक्ति)
 - च) डीयूएससी नामिती: विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाना है।उपर्युक्त समिति के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय प्रत्येक खेल परीक्षण के लिए एक प्रेक्षक नियुक्त करेगा। प्रेक्षक विश्वविद्यालय को खेल परीक्षण के संचालन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
5. वैयक्तिक खेल, दोहरे और प्रतिकार खेलों के लिए अंकन एक विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा, और टीम खेलों के लिए अंकन विश्वविद्यालय की खेल प्रवेश समिति के तीन विशेषज्ञों द्वारा अलग से किया जाएगा।

22.3 अपलोड की गई मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र के अंकन के लिए मानदंड

श्रेणी	खेल/खेल प्रतियोगिता का स्तर	प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी	अधिकतम अंक (200)			
			प्रथम स्थान	द्वितीय स्थान	तृतीय स्थान	भागीदारी
क	ओलंपिक खेलों/विश्व चैम्पियनशिप/विश्व कप/राष्ट्रमंडल खेलों/एशियाई खेलों/एशियाई सीनियर चैम्पियनशिप/दक्षिण एशियाई खेलों/पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया	आईओसी/आईएसएफ/सीजीएफ/ओसीए/एसएओसी/आईपीसी युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमवाईएस) द्वारा मान्यता प्राप्त और वित्त-पोषित	खेल परीक्षण के बिना प्रवेश			
ख	17/19 के तहत एशियाई जूनियर/युवा/चैम्पियनशिप/प्रतियोगिताओं/प्रतियोगिताओं/राष्ट्रीय खेलों/फेडरेशन कप/सीनियर नेशनल/राष्ट्रीय/इंटर-जोनल राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्कूल खेलों में स्थिति और/या भागीदारी/खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर 17/18/21/यूथ/जूनियर नेशनल/सब-जूनियर/जोनल नेशनल प्रतियोगिताएं	आईएसएफ/आईओए/एनएसएफ युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमवाईएस) /स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) द्वारा मान्यता प्राप्त और वित्त-पोषित	200	180	160	140
ग	राज्य प्रतियोगिता/इंटर-जोनल/अंतर-जिला/सीबीएसई राष्ट्रीय/केवीएस राष्ट्रीय/आईपीएससी राष्ट्रीय/डीएवी राष्ट्रीय/एनवीएस राष्ट्रीय/विद्या भारती राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्थिति	राज्य खेल संघ/राज्य शिक्षा निदेशालय/राज्य स्कूल बोर्ड	120	100	80	पात्र नहीं
घ	जिला/क्षेत्रीय प्रतियोगिता/सीबीएसई क्लस्टर/जोनल,	जिला खेल संघ/जिला/आंचलिक/क्षेत्रीय शिक्षा	60	40	20	पात्र नहीं

	केवीएस/एनवीएस क्षेत्रीय, डीएवी/विद्या भारती जोनल, सुब्रतो कप/स्कूल खेल बोर्ड प्रतियोगिताओं में स्थिति	निदेशालय/जिला स्कूल बोर्ड				
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	--	--	--	--

22.3.1 सीट आवंटन

1. खेल के लिए सीटों के आवंटन के लिए श्रेणी क के उम्मीदवारों को अधिसंख्य कोटा वरीयता दी जाएगी।
2. श्रेणी ख, ग और घ उम्मीदवारों को खेल अधिसंख्य कोटा के लिए सीटों के आवंटन के लिए उम्मीदवारों के संयुक्त खेल मेरिट (सीएसएम) पर विचार किया जाएगा।
3. एक उम्मीदवार का सीएसएम स्कोर का योग होगा:
 - (क) उच्चतम कार्यक्रम का 25%-उन सभी कार्यक्रमों का विशिष्ट सीयूईटी प्रतिशत स्कोर जिसमें उम्मीदवार ने आवेदन किया है
 - (ख) अपलोड किए गए मेरिट/सहभागिता खेल प्रमाणपत्र के मूल्यांकन में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त उच्चतम अंकों का 25%, और
 - (ग) दिए गए खेल परीक्षणों में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त उच्चतम स्कोर का 50%।
4. आवंटन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा:
 - (क) उम्मीदवार की सीएसएम रैंकिंग।
 - (ख) उम्मीदवार द्वारा चुने गए कार्यक्रम + महाविद्यालय संयोजनों की प्राथमिकताएं।
 - (ग) उम्मीदवार द्वारा चुने गए महाविद्यालय में विशिष्ट खेल के लिए सीटों की उपलब्धता।
5. खेल अधिसंख्य कोटा के आधार पर प्रवेश के लिए बाद के दौर (यदि कोई हो) में, जिन उम्मीदवारों को पहले से ही खेल कोटा सीट पर भर्ती कराया गया है, उन्हें कार्यक्रम+महाविद्यालय संयोजनों की उच्च वरीयता के लिए विचार करने के लिए 'अपग्रेड' का विकल्प चुनना होगा और उम्मीदवार द्वारा प्रयोग किए गए वैकल्पिक तैयार के अनुसार महाविद्यालय में विशिष्ट खेल/खेल के लिए सीट होगी। जो उम्मीदवार सक्रिय है या 'फ्रीज़' चुनता है, उस पर परवर्ती दौर में विचार नहीं किया जाएगा।

22.3.2 टाई निर्णायक के नियम

टाई के मामले में (अर्थात जहां दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के पास एक ही खेल/खेल में एक ही सीएसएम है और एक ही महाविद्यालय में प्रवेश के लिए पात्र हैं) निम्नलिखित नियम नीचे बताए गए क्रम में लागू होंगे:

- नियम 1. दिए गए खेल परीक्षण में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।
- नियम 2. सर्वश्रेष्ठ अपलोड किए गए मेरिट/सहभागिता खेल प्रमाणपत्र में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।

- नियम 3. दूसरे में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी-सर्वश्रेष्ठ अपलोड की गई मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र को वरीयता दी जाएगी।
- नियम 4. तीसरे सर्वश्रेष्ठ अपलोड किए गए मेरिट/सहभागिता खेल प्रमाणपत्र में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।
- नियम 5. पहले की जन्म तिथि वाले उम्मीदवार (जैसा कि दसवीं कक्षा के प्रमाणपत्र में उल्लेख किया गया है) को टाई तोड़ने के लिए वरीयता दी जाएगी।

यदि टाई बनी रहती है, तो ऐसे सभी उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जा सकता है।

22.4 महत्वपूर्ण जानकारी

- महाविद्यालय की खेल प्रवेश समिति इस प्रकार होगी:
 - अध्यक्ष: प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य नामिति
 - संयोजक: शारीरिक शिक्षा शिक्षक, शारीरिक शिक्षा विभाग
 - सदस्य: शारीरिक शिक्षा शिक्षक, शारीरिक शिक्षा विभाग
 - नामिति: कर्मचारी परिषद का एक संकाय सदस्य
- महाविद्यालय की खेल प्रवेश समिति निम्नलिखित करेगी:
 - दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश वेबसाइट पर उम्मीदवार के आवेदन-पत्र को स्क्रीन करेगी।
 - उम्मीदवार के मूल मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र से डीयूएससी द्वारा मूल्यांकन/चिह्नित अपलोड किए गए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र को सत्यापित करेगी।
- अपलोड किए गए मेरिट/सहभागिता खेल प्रमाणपत्र के अंक प्रदान करने से संबंधित शिकायतों का निवारण विश्वविद्यालय की स्नातक खेल शिकायत निवारण समिति द्वारा किया जाएगा। अपलोड किए गए मेरिट/सहभागिता खेल प्रमाणपत्र के अंक दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश वेबसाइट पर तीन दिनों के लिए प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि शिकायतें, यदि कोई हों, दर्ज की जा सकें। सभी पंजीकृत शिकायतों को विश्वविद्यालय की स्नातक खेल शिकायत समिति द्वारा तीन दिनों के भीतर हल किया जाएगा।
- अपलोड किए गए मेरिट/सहभागिता खेल प्रमाणपत्र पर दिए गए अंक जो दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए हैं, अनंतिम हैं और विश्वविद्यालय की स्नातक खेल शिकायत समिति द्वारा मेरिट/सहभागिता खेल प्रमाणपत्र की अंतिम जांच और सत्यापन के अधीन हैं। विश्वविद्यालय की स्नातक खेल शिकायत समिति का निर्णय अंतिम होगा।

5. महाविद्यालय खेल के आधार पर भर्ती उम्मीदवारों के दस्तावेजों का उचित रिकॉर्ड बनाए रखेगी।
6. खेल अधिसंख्य कोटा में अंतिम रूप से प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची (सॉफ्ट कॉपी) विश्वविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि के सात दिनों के भीतर महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश शाखा और निदेशक, डीयूएससी को भेजी जाएगी।
7. एक उम्मीदवार, उसकी उम्र के अनुसार अगले चार वर्षों के लिए अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए पात्र होना चाहिए और कहीं भी अंशकालिक/पूर्णकालिक आधार पर नियोजित नहीं होना चाहिए।
8. खेल परीक्षण के दौरान उम्मीदवार को लगी किसी भी चोट/हताहत उम्मीदवार का एकमात्र उत्तरदायित्व होगा।
9. उम्मीदवार को प्रवेश के समय एक वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें कहा गया है कि उम्मीदवार महाविद्यालय के लिए अभ्यास करेगा और भाग लेगा, और यदि चयनित हो जाता है तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित खेल प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसमें विफल होने पर महाविद्यालय को प्रवेश रद्द करने का अधिकार है, यदि उम्मीदवार स्नातक अध्ययन की अपनी पूरी अवधि के दौरान वचन-पत्र का उल्लंघन करता है।
खेल अधिसंख्य कोटा के आधार पर सभी प्रवेश अनंतिम हैं और उम्मीदवार के अपलोड किए गए मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्रों के मूल की फॉरेंसिक जांच/सत्यापन के अधीन हैं। खेल अधिसंख्य कोटा के आधार पर प्रवेश पाने के लिए झूठे/फर्जी मेरिट/भागीदारी खेल प्रमाणपत्र जमा करने वाले उम्मीदवारों को तीन वर्ष के लिए किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। इस तरह के प्रवेश रद्द कर दिए जाएंगे और सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

अध्याय – 23 अन्य अधिसंख्य कोटा पर प्रवेश

अधिसंख्य कोटा के तहत प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग आवंटन परिणाम घोषित किए जाएंगे। उम्मीदवारों को अधिसंख्य कोटा के तहत प्रवेश से संबंधित दिशानिर्देशों और कार्यक्रमों के लिए प्रवेश वेबसाइट पर जाना चाहिए। उन्हें नियमित रूप से अपने डैशबोर्ड की जांच भी करनी चाहिए।

23.1 : बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (दिव्यांग)

सभी महाविद्यालयों के प्रत्येक कार्यक्रम में कुल स्वीकृत संख्या का पांच प्रतिशत (5%) दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। दिव्यांग श्रेणी के लिए निर्धारित विकलांगों से संबंधित पात्रता और विवरण यूजी बीओआई-2024 में उल्लिखित हैं।

दिव्यांग कोटा के तहत प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग आवंटन परिणाम घोषित किए जाएंगे। दिव्यांग प्रमाणपत्र के प्रारूप के लिए, अनुसूची IV देखें। 01.06.2021 के बाद जारी किए गए विकलांगता प्रमाणपत्र दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या 1736 (ड) दिनांक 05.05.2021 के अनुसार होने चाहिए और यूजीआईडी पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जाने चाहिए। हालांकि, 01.06.2021 से पहले जारी किए गए विकलांगता प्रमाणपत्रों पर अन्य मौजूदा लागू नियमों और दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग और दिल्ली विश्वविद्यालय की अधिसूचनाओं के अनुसार विचार किया जाएगा।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, 'बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति का अर्थ है निर्दिष्ट विकलांगता के चालीस प्रतिशत (40%) से कम वाला व्यक्ति नहीं, जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें दिव्यांग व्यक्ति शामिल है जहां निर्दिष्ट विकलांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित है। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का संख्या 1), जिसके तहत पहले विकलांगजनों को दाखिले में आरक्षण प्रदान किया गया था, अब निरसित कर दिया गया है।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में उल्लिखित विकलांगता की निम्नलिखित निर्दिष्ट श्रेणियों में से किसी के भीतर आने वाले बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति [उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (जेडसी) देखें] उक्त आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। अधिक जानकारी के लिए

स्नातक सूचना बुलेटिन-2024 देखें।

23.2 : सशस्त्र बलों (सीडब्ल्यू) के कर्मियों के बच्चे/विधवाएं

सभी महाविद्यालयों में कार्यक्रमवार सशस्त्र बलों (सीडब्ल्यू) के कर्मियों के बच्चों/विधवाओं के लिए उम्मीदवारों के लिए पांच प्रतिशत (5%) सीटें आरक्षित हैं।

सीडब्ल्यू कोटा के तहत प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग मेरिट सूची घोषित की जाएगी।

सीडब्ल्यू उम्मीदवारों को भी अपनी प्राथमिकता की पुष्टि करनी होगी। सीडब्ल्यू प्राथमिकता से संबंधित विवरण के लिए, यूजी बीओआई-2024 देखें।

शैक्षिक रियायत प्रमाणपत्र (ईसीसी) प्रमाणपत्र के प्रारूप के लिए, अनुलग्नक IV देखें।

23.3 : कश्मीरी प्रवासी (क.प्र.)

कश्मीरी प्रवासियों के कोटा के तहत प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग आवंटन परिणाम घोषित किए जाएंगे। कश्मीरी प्रवासियों के वार्डों के लिए सभी महाविद्यालयों में कार्यक्रमवार 5% तक सीटें आरक्षित हैं।

कश्मीरी प्रवासियों के सभी वार्डों को डिजीजनल कमिश्नर/राहत आयुक्त द्वारा जारी कश्मीरी प्रवासियों के रूप में पंजीकरण का प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।

23.4 : जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (पीएमएसएसएस)

पीएमएसएसएसएस अतिरिक्त कोटा का आवंटन यूजीसी के पत्र संख्या एफ 1-13/2018 (डीसी) दिनांक 03 जनवरी, 2019 (24 फरवरी, 2018 को आयोजित जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना पर अंतर-मंत्रालयी समिति की 21^{वीं} बैठक के मिनटों के आधार पर संस्थानों में पीएमएसएसएसएस अतिरिक्त कोटा) के अनुसार एआईसीटीई और दिल्ली विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार होगा।

23.5 : सिक्किम के छात्रों (एसएस) के लिए सीटों का नामांकन

सिक्किम के छात्रों के लिए नामांकित सीटों के लिए सीटों की उपलब्धता से संबंधित विवरण के लिए, स्नातक सूचना बुलेटिन-2024 देखें।

23.6 : दिल्ली विश्वविद्यालय वार्ड कोटा (डब्ल्यूक्यू)

विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालय के कर्मचारियों के वार्डों में प्रवेश, शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों, अकादमिक परिषद के संकल्प 9 क और ख दिनांक 27.11.2020 और उसके बाद के संशोधनों/अधिसूचनाओं के अनुसार किया जाएगा।

उम्मीदवार को देय अधिकारियों द्वारा जारी एक वैध रोजगार प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा। प्रमाणपत्र में माता-पिता के रोजगार की स्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। केवल सीएसएस (यूजी) - 2024 आवेदन-पत्र के समय अपलोड किए गए प्रमाणपत्र पर विचार किया जाएगा। पहचान-पत्र, आधार कार्ड या कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

23.7 : अनाथ कोटा (ओक्यू)

दिल्ली विश्वविद्यालय स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर अध्ययन के प्रत्येक कार्यक्रम में दो उम्मीदवारों (एक पुरुष और एक महिला) को स्वीकार करेगा।

विश्वविद्यालय परिषद ने यह भी संकल्प किया कि विश्वविद्यालय अथवा इसके महाविद्यालयों में ऐसे छात्रों के दाखिले और अध्ययन जारी रखने के लिए किए गए व्यय को विश्वविद्यालय कल्याण निधि अथवा महाविद्यालय छात्र कल्याण निधि, जैसा भी मामला हो, से विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में दाखिले के लिए पूरा किया जाएगा।

उम्मीदवार जो अनाथ कोटा के तहत प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनाथालय/धर्मार्थ गृह या माता-पिता दोनों के मृत्यु प्रमाणपत्र से प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।

विश्वविद्यालय की अधिसूचना सं Acad.I/Orphan Quota/2024-25/10 दिनांक 16 जनवरी, 2024, अनाथ कोटा के तहत शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को निम्नलिखित शुल्क का भुगतान करना होगा:-

- i. प्रवेश शुल्क- 10.00 रुपए
- ii. परीक्षा शुल्क-10.00 रुपए
- iii. छात्रावास शुल्क-10.00. रुपए छात्रावास आवास का लाभ उठाने वाले छात्रों को वास्तविक व्यय के अनुसार मेस शुल्क का भुगतान करना होगा।

23.8 : सिंगल गर्ल चाइल्ड (एसजीसी)

प्रत्येक महाविद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रम में 01 (एक) सीट सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए अधिसंख्य कोटा के तहत आरक्षित है।

माता-पिता/अभिभावक (यदि माता-पिता की मृत्यु हो जाती है) को यह घोषित करना होगा कि बालिका माता-पिता की **एकमात्र** संतान है, बालिका के अलावा कोई अन्य पुरुष/महिला बच्चा नहीं है, जिसके लिए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेश के लिए आवेदन जमा किया जा रहा है।

इस श्रेणी में प्रवेश का दावा करने के लिए, पिता/माता/अभिभावक (माता-पिता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में) को इस आशय के एक शपथ-पत्र की प्रति अपलोड करनी होगी, जो क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/कलेक्टर/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं) द्वारा विधिवत सत्यापित हो। उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अपर सहायक आयुक्त, ऑनलाइन पंजीकरण के समय और दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के समय मूल शपथ-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

बोर्डों की समानता

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) / विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) / शिक्षा मंत्रालय (एमओई) द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्डों/विश्वविद्यालयों के परीक्षा निकायों से संबंधित उम्मीदवारों के संबंध में महाविद्यालयों/विभागों में सभी अवर स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदनों पर विश्वविद्यालय परिपत्र पत्र दिनांक 13.01.2005 में उल्लिखित निम्नलिखित सिफारिशों के अनुसार विचार किया जाएगा।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न बोर्डों के सीनियर स्कूल प्रमाणपत्र को विभिन्न अवर स्नातक कार्यक्रमों के लिए पात्रता के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय बोर्ड के वरिष्ठ स्कूल प्रमाणपत्र के समकक्ष माना जाता है।

जो उम्मीदवार समय-समय पर समकक्ष समिति द्वारा पहले से ही अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालयों/बोर्डों की विभिन्न डिग्री/स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उन्हें नियमित मामले के रूप में पात्र माना जाएगा। केवल उन उम्मीदवारों के मामले जो एआईयू/यूजीसी/काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया (सीओबीएसई) /एमओई मान्यता प्राप्त मान्यता प्राप्त बोर्डों/विश्वविद्यालयों की सूची में नहीं आते हैं, उन्हें वैयक्तिक आधार पर विश्वविद्यालय को भेजा जाएगा।

ग्रेड रूपांतरण [एसी संकल्प संख्या 319, दिनांक 22.3.1976 के अनुसार

दिल्ली विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में दिए गए अंकों के प्रतिशत के साथ कैम्ब्रिज स्कूल प्रमाणपत्र/मलेशिया/ओवरसीज/अफ्रीकी जी.सी.ई./परीक्षा स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा और/या अमेरिकन एम्बेसी स्कूल, नई दिल्ली की 12^{वीं} कक्षा की परीक्षा में प्रदान किए गए ग्रेड प्वाइंट औसत का सूत्र/समकक्ष।

ग्रेड	प्रत्येक ग्रेड का न्यूनतम%	ग्रेड	माध्य परिणामात्मक %
1	90	ए	90
2	75	बी	75
3	66	सी	60
4	61	डी	40
5	57	ई	30
6	51	एफ	अनुत्तीर्ण
7	47	-	-
8	40	-	-
9	अनुत्तीर्ण	-	-

आईबी छात्रों में प्रवेश (आईबी ग्रेड टू मार्क्स स्कीम)

7	96-100	मध्यबिंदु 98
6	83-95	मध्यबिंदु 89
5	70-82	मध्यबिंदु 76
4	56-69	मध्यबिंदु 62.5
3	41-55	मध्यबिंदु 48
2	21-40	मध्यबिंदु 30.5
1	जनवरी-20	मध्यबिंदु 10.5

कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय (अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा) के छात्रों के लिए प्रवेश

ग्रेड	प्रतिशत एकरूपता चिह्न	मीन रिजल्टेंट
	रेंज	प्रतिशत
ए*	90-100	मध्यबिंदु 95
ए	80-89	मध्यबिंदु 85
बी	70-79	मध्यबिंदु 75
सी	60-69	मध्यबिंदु 65
डी	50-59	मध्यबिंदु 55
ई	40-49	मध्यबिंदु 45

जहां भी जी.सी.ई. प्रमाणपत्र ग्रेड इंगित करता है; इसे प्रवेश आवश्यकताओं के प्रयोजनों के लिए इंडियन स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा के ग्रेड के बराबर माना जाएगा। (ग्रेड रूपांतरण जैसा कि ऊपर कहा गया है)

कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन का नाम बदलकर 2017 से कैम्ब्रिज असेसमेंट इंटरनेशनल एजुकेशन कर दिया गया है। इसके अलावा, विश्वविद्यालय इस बोर्ड से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों से 10+2 उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के बराबर भी मानेगा और दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र हैं।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश उद्देश्यों के लिए समान अंकों के प्रतिशत का उपयोग किया जाएगा। ग्रेड को उन अंकों में परिवर्तित नहीं किया जाएगा जहां प्रतिशत समान अंक उपलब्ध हैं।

यदि कोई बोर्ड ग्रेड के साथ वैयक्तिक विषयों के प्रतिशत अंक घोषित करता है, तो प्रतिशत अंकों पर विचार किया जाएगा।

आवेदन करने के समय आवश्यक दस्तावेजों की सूची

उम्मीदवारों को आवेदन करने के समय (जैसा लागू हो) प्रासंगिक प्रमाणपत्र/दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करने और महाविद्यालय में भौतिक सत्यापन के समय मूल में एक ही प्रमाणपत्र/दस्तावेज का उत्पादन करने की आवश्यकता होगी।

1. उम्मीदवार के नाम पर दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र, जन्म तिथि और माता-पिता के नाम का संकेत देता है।
2. उम्मीदवार के नाम की बारहवीं कक्षा की अंक-तालिका। उम्मीदवार का नाम सीयूईटी (यूजी) - 2024 प्रपत्र से मेल खाना चाहिए।
3. एससी/एसटी/ओबीसी एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/अल्पसंख्यक/सीडब्ल्यू/केएम/दिव्यांग प्रमाणपत्र (उम्मीदवार के नाम पर) सक्षम जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया।
एससी/एसटी/ओबीसी एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/अल्पसंख्यक/सीडब्ल्यू/केएम/दिव्यांग के तहत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार का नाम उसके संबंधित स्कूल बोर्ड योग्यता प्रमाणपत्र और सीयूईटी (यूजी) -2024 में दिखाई देने वाले नाम से मेल खाना चाहिए। इसी तरह, उसके माता-पिता के नाम प्रमाणपत्र के दोनों सेट में मेल खाना चाहिए।
4. ओबीसी-नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र (उम्मीदवार के नाम पर) सक्षम जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, और जिसमें जाति <http://ncbc.nic.in> द्वारा जारी ओबीसी केंद्रीय सूची में है। ओबीसी-नॉन-क्रीमी लेयर के तहत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार का नाम उसके संबंधित स्कूल बोर्ड योग्यता प्रमाणपत्र और सीयूईटी (यूजी) -2024 में दिखाई देने वाले नाम से मेल खाना चाहिए; इसी तरह, माता-पिता के नाम प्रमाणपत्र के दोनों सेट में मेल खाना चाहिए। आय प्रमाणपत्र 31 मार्च, 2024 के बाद जारी किया जाना चाहिए। ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र का प्रारूप अनुलग्नक IV में दिया गया है।
5. उम्मीदवार को प्रमाणित करने वाले सक्षम जारीकर्ता प्राधिकारी से ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र (उम्मीदवार के नाम पर) इस श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा कर सकता है। इस श्रेणी के तहत आरक्षण

का दावा करने वाले उम्मीदवार का नाम उस नाम से मेल खाना चाहिए जो उसके संबंधित स्कूल बोर्ड योग्यता प्रमाणपत्र पर दिखाई देता है; इसी तरह, उसके माता-पिता के नाम प्रमाणपत्र के दोनों सेट में मेल खाना चाहिए। आय प्रमाणपत्र 31 मार्च, 2024 के बाद जारी किया जाना चाहिए। प्रमाणपत्र के प्रारूप के लिए अनुसूची IV देखें।

6. ईसीए/खेल अधिसंख्य कोटा के माध्यम से प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवारों को अपेक्षित प्रमाणपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां अपलोड करनी होंगी और मांगे जाने पर प्रासंगिक आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे।
7. शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेल बी.एससी. के लिए आवेदन करने के लिए, उम्मीदवारों को निम्नलिखित अपलोड करना होगा (अध्याय 20 में विवरण) :
 - क) अनुसूची IV में दिए गए प्रारूप के अनुसार मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र।
 - ख) तीन खेल प्रवीणता प्रमाणपत्र तक।
8. जिन उम्मीदवारों ने बारहवीं कक्षा में संगीत को एक विषय के रूप में नहीं पढ़ा है और बी.ए. (ऑनर्स) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें संगीत को सीएसएस (यूजी)-2024 के अध्याय 2024 में उल्लिखित प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।
9. दिव्यांग विकलांगता प्रमाणपत्र किसी मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल द्वारा जारी उम्मीदवार के नाम पर होना चाहिए, जिसमें उम्मीदवार की फोटो हो (प्रमाणपत्र के प्रारूप के लिए अनुसूची IV देखें)। 01.06.2021 के बाद जारी किए गए विकलांगता प्रमाणपत्र दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या 1736 (ड) दिनांक 05.05.2021 के अनुसार होने चाहिए और यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जाने चाहिए। हालांकि, 01.06.2021 से पहले जारी किए गए विकलांगता प्रमाणपत्रों पर अन्य मौजूदा लागू नियमों और दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग और दिल्ली विश्वविद्यालय की अधिसूचनाओं के अनुसार विचार किया जाएगा।
10. सीडब्ल्यू श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को शैक्षिक रियायत प्रमाणपत्र (ईसीसी), (उम्मीदवार के नाम पर) को उस प्रारूप में अपलोड करना होगा जिसमें प्राथमिकता स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। प्रमाणपत्र के प्रारूप के लिए अनुसूची IV देखें।

11. कश्मीरी प्रवासी श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार को अंचल आयुक्त/राहत आयुक्त द्वारा जारी सही प्रारूप में प्रासंगिक प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।
12. सिख और ईसाई अल्पसंख्यक श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को प्रवेश के समय अल्पसंख्यक का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें किसी भी सरकारी संगठन/स्थानीय नगर पालिका/पंचायत/शिक्षा बोर्ड/स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र आदि द्वारा जारी उम्मीदवार की अल्पसंख्यक स्थिति का विवरण हो, या जैसा लागू हो, डीएसजीएमसी/डीएमसी या बपतिस्म प्रमाणपत्र और/या चर्च सदस्यता प्रमाणपत्र द्वारा जारी किया गया हो। सिख उम्मीदवारों के लिए अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित अधिक जानकारी के लिए, अध्याय 18 देखें।
13. उम्मीदवार जो अनाथ कोटा के तहत प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनाथालय/धर्मार्थ गृह या माता-पिता दोनों के मृत्यु प्रमाणपत्र से प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा।
14. उम्मीदवार जो दिल्ली विश्वविद्यालय वार्ड अधिसंख्य कोटा के तहत प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें देय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए अपने माता-पिता का वैध रोजगार प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा। केवल सीएसएस (यूजी)-2024 आवेदन-पत्र में अपलोड किए गए रोजगार प्रमाणपत्र पर विचार किया जाएगा। आई-कार्ड, आधार कार्ड और/या कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।
15. सिंगल गर्ल चाइल्ड की श्रेणी में प्रवेश का दावा करने के लिए, पिता/माता/अभिभावक (यदि माता-पिता की मृत्यु हो जाती है) को इस आशय के शपथ-पत्र की प्रति अपलोड करनी होगी, जो क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/कलेक्टर/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के वजीफा मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं) द्वारा विधिवत सत्यापित हो। उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अपर सहायक आयुक्त, ऑनलाइन पंजीकरण के समय और दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के समय मूल शपथ-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। शपथ-पत्र के प्रारूप के लिए अनुसूची IV देखें।

उम्मीदवार अपने द्वारा अपलोड किए गए प्रमाणपत्र की गुणवत्ता और प्रामाणिकता के लिए उत्तरदायी

होंगे। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए कि अपलोड किए गए दस्तावेज/प्रमाणपत्र प्रामाणिक और सटीक हैं। उम्मीदवार मांगे गए दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे। सभी प्रमाणपत्र/दस्तावेज किसी भी भौतिक सत्यापन के पूरा होने पर महाविद्यालय/विभाग द्वारा उम्मीदवार को वापस कर दिए जाएंगे जो बाद के चरण में आवश्यक हो सकते हैं।

यदि मूल प्रमाणपत्र अंग्रेजी/हिंदी में नहीं हैं, तो दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान प्रधानाचार्य/निदेशक या अंतिम संस्थान के अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित ऐसे प्रमाणपत्रों का अंग्रेजी/हिंदी संस्करण/अनुवाद आवश्यक होगा।

प्रमाणपत्र का प्रारूप

अनुसूचित जाति (अ.जा.) और अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) प्रमाणपत्र का प्रारूप

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश _____ के
जिला/मंडल* _____ के
श्री/श्रीमती/सुश्री* _____ पुत्र/पुत्री _____ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति*

के अंतर्गत आते हैं:-

- * संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950
- * संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950
- * संविधान (अनुसूचित जातियां) (केंद्र शासित प्रदेश) आदेश, 1951
- * संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (केंद्र शासित प्रदेश) आदेश, 1951
- [अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन आदेश) 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा संशोधित, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002]
- * संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956;
- * संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित;
- * संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962; *संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962;
- * संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964; *संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967;
- * संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968; *संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968; *संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970;
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978;
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978;
- * संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989;
- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990;
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991;
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991.

2. # यह प्रमाणपत्र _____ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के जिला/मंडल* _____ के गांव/कस्बा* _____ के श्री/श्रीमती* _____, पिता/माता*/श्रीमती/सुश्री* श्री _____ को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो _____ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* से संबंधित है, जो दिनांक _____ द्वारा जारी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* के रूप में मान्यता प्राप्त है।

3. श्री/श्रीमती/सुश्री* _____ और/या* उनका/उनकी* परिवार आमतौर पर राज्य केंद्र शासित प्रदेश* _____ के _____ के गांव/कस्बा _____ में रहता है।

स्थान: _____

हस्ताक्षर: _____

दिनांक: _____

पद: _____

(कार्यालय की मुहर)

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* _____

* कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं।

एससी/एसटी व्यक्तियों के मामले में लागू जो दूसरे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से स्थानांतरित हुए हैं।

महत्वपूर्ण टिप्पणी

यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करता है" का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी:

1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उपविभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अपर सहायक आयुक्त।
2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हों।
4. उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।
5. प्रशासक/प्रशासक के सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)।
6. किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री* _____ पुत्र/पुत्री* श्री/श्रीमती*
गांव/कस्बा* _____ जिला/मंडल* _____ राज्य में _____ समुदाय से संबंधित
है जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है:

- (i) भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड I संख्या 186 दिनांक 13/09/93 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/68/93-BCC दिनांक 10/09/93.
- (ii) भारत के राजपत्र असाधारण भाग 1 खंड I संख्या 163 दिनांक 20/10/94 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/9/94-BCC दिनांक 19/10/94.
- (iii) भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड I संख्या 88 दिनांक 25/05/95 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/7/95-BCC दिनांक 24/05/95.
- (iv) संकल्प संख्या 12011196/94-BCC दिनांक 9/03/96.
- (v) भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड 1 संख्या 210 दिनांक 11/12/96 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/44/96-बीसीसी दिनांक 6/12/96.
- (vi) संकल्प संख्या 12011/13/97-BCC दिनांक 03/12/97.
- (vii) संकल्प संख्या 12011/99/94-BCC दिनांक 11/12/97.
- (viii) संकल्प संख्या 12011/68/98-BCC दिनांक 27/10/99.
- (ix) भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड 1 संख्या 270 दिनांक 06/12/99 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/88/98-BCC दिनांक 6/12/99.
- (x) भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड I संख्या 71 दिनांक 04/04/2000 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/36/99-BCC दिनांक 04/04/2000.
- (xi) भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड I संख्या 210 दिनांक 21/09/2000 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/44/99-BCC दिनांक 21/09/2000.
- (xii) संकल्प संख्या 12015/9/2000-BCC दिनांक 06/09/2001.
- (xiii) संकल्प संख्या 12011/1/2001-BCC दिनांक 19/06/2003.
- (xiv) संकल्प संख्या 12011/4/2002-BCC दिनांक 13/01/2004.
- (xv) भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड I संख्या 210 दिनांक 16/01/2006 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/9/2004-BCC दिनांक 16/01/2006.
- (xvi) भारत के राजपत्र असाधारण भाग I खंड I संख्या 67 दिनांक 12/03/2007 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/14/2004-BCC दिनांक 12/03/2007.
- (xvii) संकल्प संख्या 12015/2/2007-BCC दिनांक 18/08/2010.
- (xviii) संकल्प संख्या 12015/13/2010-BCC दिनांक 08/12/2011.

श्री/श्रीमती/सुश्री और/या उसका परिवार आमतौर पर राज्य के जिले/मंडल में रहता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जी.एम. संख्या 36012122/93-स्था. (एससीटी) दिनांक 08/09/93 जिसे कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004 स्था. (Res.) दिनांक 09/03/2004 के द्वारा संशोधित किया गया है, और आगे कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था. (Res.) दिनांक 14/10/2008 द्वारा संशोधित किया गया है कि अनुसूची के कॉलम 3 में या भारत सरकार की नवीनतम अधिसूचना में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।

दिनांक:

जिलाधिकारी

प्रथम

उपायुक्त/कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी

मुहर

* राज्यवार ओबीसी की केंद्रीय सूची पर नवीनतम दिशानिर्देशों और अपडेट के लिए <http://www.ncbc.nic.in> देखें।

** कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं।

*** जैसा कि अनुबंध में सूचीबद्ध है (प्रपत्र-ओबीसी-एनसीएल के लिए)

**** प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना होगा, जिसमें उम्मीदवार की जाति ओबीसी के रूप में उल्लिखित है।

टिप्पणी:

क. यहां प्रयुक्त शब्द 'सामान्यतः निवास' का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

ख. जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नीचे दर्शाए गए हैं:

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक

मजिस्ट्रेट/उपविभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अपर सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)।

- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो और
- (iv) उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार रहता है

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाणपत्र

सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा तैयार किया जाने वाला परिसंपत्ति प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र संख्या _____ दिनांक _____
वर्ष _____ के लिए वैध

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के _____ पिन कोड वाले गांव/गली _____ डाकघर जिले के स्थायी निवासी श्री/श्रीमती/सुश्री _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी, जिनकी फोटो नीचे सत्यापित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हैं, क्योंकि उसके "परिवार" की कुल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए 8 लाख रुपये (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है...:
 - I. 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;
 - II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय प्लैट;
 - III. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
 - IV. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
2. श्री/श्रीमती/सुश्री उस जाति से संबंधित हैं जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

अधिकारी की मुहर के साथ हस्ताक्षर _____

नाम _____

पद _____

आवेदक का नवीनतम
पासपोर्ट आकार का
सत्यापित फोटो

उल्लिखित परिवारों की आय और संपत्ति को
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में तहसीलदार के पद से
नीचे के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना
आवश्यक होगा।

*टिप्पणी 1: आय में सभी स्रोत शामिल हैं अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा, आदि।

**टिप्पणी 2: इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन और उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं।

***टिप्पणी 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति स्वामित्व परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में एक "परिवार" द्वारा रखी गई संपत्ति को जोड़ दिया गया है।

शैक्षिक रियायत प्रमाणपत्र (ईसीसी)

(उचित लेटर हेड पर पूरा पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी के साथ)
कार्यालय _____

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री _____ निवासी _____
(नंबर _____) का बेटा/बेटी है।

ऊपर नामित अधिकारी/जेसीओ/ओआर _____ :

प्राथमिकता-I

_____ के दौरान _____ पर कार्रवाई में मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाएं/ आश्रित;

प्राथमिकता-II

_____ के दौरान _____ पर कार्रवाई में विकलांगों के बच्चे और सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के कारण सेवा से बाहर कर दिया गया।

प्राथमिकता-III

रक्षा कर्मियों की विधवाएं/बच्चे जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई और मृत्यु का कारण सैन्य सेवा है।

प्राथमिकता-IV

सेवा के दौरान दिव्यांग हो गए रक्षा कर्मियों के बच्चे और सैन्य सेवा के कारण विकलांगता के कारण बाहर हो गए।

प्राथमिकता-V

वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुलिस बलों के कर्मियों सहित सेवारत/पूर्व सैनिक कर्मियों के बच्चे;

- i. परमवीर चक्र
- ii. अशोक चक्र
- iii. महावीर चक्र
- iv. कीर्ति चक्र
- v. वीर चक्र
- vi. शौर्य चक्र
- vii. वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक/वीरता के लिए राष्ट्रपति अग्निशमन सेवा पदक
- viii. सेना, नौ सेना, वायु सेना पदक
- ix. मेशन-इन-डिस्पैचिज
- x. वीरता के लिए पुलिस पदक/अग्निशमन सेवाओं के लिए वीरता पदक/वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक।

प्राथमिकता-VI

भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे

प्राथमिकता-VII

पत्नियाँ:

- i. सैन्य कार्रवाई में अक्षम और सेवा से बाहर कर दिए गए रक्षा कर्मिक
- ii. सेवा के दौरान दिव्यांग हुए और विकलांगता के कारण सैन्य सेवा बाहर हुए रक्षा कर्मिक।
- iii. भूतपूर्व सैनिक और सेवारत कर्मिक जो वीरता पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं।

प्राथमिकता-VIII

सेवारत कर्मिकों के बच्चे

प्राथमिकता-IX

सेवारत कर्मिकों की पत्नियाँ

श्री/सुश्री/श्रीमती _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी _____ अधिकारी/जेसीओ/ओआर,
प्राथमिकता संख्या _____ के तहत सशस्त्र बल श्रेणी के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए शैक्षिक रियायत के लिए पात्र हैं।

संख्या: _____

दिनांक: _____

मुहर<रबड़ की मोहर >नाम और पदनाम के साथ (हस्ताक्षर)

बेंचमार्क विकलांगता प्रमाणपत्र वाले व्यक्ति

प्रपत्र- I I

विकलांगता प्रमाणपत्र

(अंगों के विच्छेदन या पूर्ण स्थायी पक्षाघात के मामलों में और अंधापन के मामलों में)

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हालिया पासपोर्ट आकार का प्रमाणित फोटो (केवल चेहरा दिखाई दे)।

प्रमाणपत्र _____

दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/सुश्री _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____ आयु _____ (दिनांक/माह/वर्ष), पुरुष/महिला _____ पंजीकरण संख्या _____ स्थायी निवासी मकान नंबर _____ वार्ड/गांव/गली _____ डाकघर _____, जिनकी फोटो ऊपर लगी है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि:

- वह निम्नलिखित का मामला है:
क. लोकोमोटर विकलांगता
ख. अंधापन
(कृपया जो लागू हो उस पर निशान लगाएं)
- उसके मामले में निदान _____ है
- दिशा-निर्देशों (निर्दिष्ट किया जाए) के अनुसार उसके _____ (शरीर का हिस्सा) के संबंध में उसे _____ % (आंकड़े में) _____ प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी शारीरिक हानि/अंधापन है।
- आवेदक ने निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है:-

दस्तावेज़ का नाम	जारी करने की तिथि	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और सील)

(उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में विकलांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है।)

सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए शपथ-पत्र

इस श्रेणी में प्रवेश का दावा करने के लिए, पिता/माता/अभिभावक (यदि माता-पिता की मृत्यु हो गई है) को इस आशय का विधिवत हलफनामा प्रस्तुत करना होगा। जो क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट/अपर मजिस्ट्रेट/उपायुक्त/कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं), उप-मंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त द्वारा विधिवत सत्यापित हो।

केवल श्रेणी के लिए शपथ-पत्र/स्व-सत्यापित का प्रारूप
(प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सत्यापित 20/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर)

मैं _____ (नाम) पिता/माता सुश्री _____ का, निवासी
_____ (पूरा पता दिया जाए) इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती
हूँ और निम्नलिखित प्रतिज्ञान करता/करती हूँ:

1. कि मैं भारत का नागरिक हूँ।
2. कि सुश्री _____ जिसका जन्म _____ को हुआ, अभिसाक्षी का सिंगल गर्ल चाइल्ड है।
3. कि प्रतिवादी के पास उपरोक्त के अलावा कोई जीवित पुरुष/महिला बच्चा नहीं है।

स्थान:

दिनांक:

प्रतिवादी

सत्यापन

सत्यापित किया गया है कि उपरोक्त शपथ-पत्र/स्व-सत्यापित की सामग्री मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

प्रतिवादी

स्थान:

दिनांक:

शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विभाग

(अंतर-विषयक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान संकाय) दिल्ली विश्वविद्यालय,
सी/ओआईजीआईपीईएसएस, बी-ब्लॉक, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018

वेबसाइट: www.dudpess.du.ac.in ईमेल: dudpess1@gmail.com

वेबसाइट: www.igipess.du.ac.in ईमेल: principal@igipess.du.ac.in

बी.एससी. के लिए मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र प्रपत्र (पीई, एचई और
एस) .बी.पी.एड./एम.पी.एड./प्रवेश सत्र के लिए पाठ्यक्रम (2024-25) बी.एससी.

(पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से अपेक्षित चिकित्सा प्रमाणपत्र)

1. पाठ्यक्रम का
नाम:
2. नाम:
3. आयु और
लिंग:
4. पिता का
नाम:
5. माता का
नाम:
6. नाड़ी:
7. बी.पी. :
8. वजन:
9. लंबाई:
10. छाती का घेरा: सामान्य और
विस्तारित:
11. सीवीएस:

-
- .
12. छाती:.....
-
- ..
13. पेट:.....
-
- ..
14. आँख: (i) रंग दृष्टि (ii) दृश्य तीक्ष्णता.....
- (क) चश्मे के बिना (ख) चश्मे के साथ
15. श्री/सुश्री..... की सावधानीपूर्वक वैयक्तिक जांच के बाद मैं यहां प्रमाणित करता/करती हूं कि वह चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ है और किसी विकृति/विकलांगता से पीड़ित नहीं है

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर
(मुहर, पंजीकरण संख्या, मोबाइल नं.)

(चिकित्सा अधिकारी के पास न्यूनतम एम. बी. बी. एस.

डिग्री होनी चाहिए)



दिल्ली विश्वविद्यालय

पत्राचार के लिए पता
प्रवेश शाखा
गेट नंबर 04
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली 110007

वेबसाइट

www.admission.uod.ac.in

सहायता डेस्क नंबर

011-27006900

सहायता डेस्क ईमेल:

ug@admission.du.ac.in

कॉमन सीट आवंटन प्रणाली 25.04.2024 को प्रकाशित

कवर दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज महाविद्यालय के पूर्व-छात्र श्री आदित्य प्रकाश द्वारा डिजाइन किया गया है।
कवर फ़ोटो पिक्सेल्स-द फ़ोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी सोसाइटी ऑफ़ हंसराज महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा।

